

कमर्चारी पर्तितकर अधिनयम, 1923

(1923 का अधिनयम संख्यांक 8)¹

[5 मार्च,

1923]

िनयोजन के कितपय वग ~~१~~ द्वारा अपने ²[कमर्चािरय] को दुघटना ~~२~~ द्वारा हुई

क्षित के िनिमृ प्तिरकर का संदाय िकए जाने
का उपबंध करने के िलए
अधिनयम

अतः यह समीचीन है िक िनयोजक ~~३~~ के कितपय वग ~~४~~ द्वारा अपने ³[कमर्चािरय] को दुघटना ~~५~~ द्वारा हुई

क्षित के िनिमृ प्तिरकर का संदाय िकए जाने का उपबंध िकया जाए;

अतः एत् ~~६~~ द्वारा िनम् निलिखत रूप से यह अधिनयिमत िकया जाता है:—

अध्याय 1

परारम्भक

1. संक्षिप् त नाम, िवस्तार और परारम्भ—(1) यह अधिनयम ⁴[कमर्चारी] प्तिरकर अधिनयम, 1923 कहा जा सकेगा । ⁵[(2) इसका िवस्तार ~~६~~ सम्पूर्ण भारत पर है ।]

(3) यह 1924 की जुलाई के पर्थम िदन को पर्वृ होगा ।

2. पिरभाषाएं—(1) इस अधिनयम मं, जब तक िक िवषय या संदभर् मं कोई बात िवरु ~~७~~ न हो,—

* ⁷* * * (ख) “आयुक् त” से धारा 20 के अधीन िनयुक् त कमर्कार प्तिरकर आयुक् त अभपर्ेत है;

(ग) “प्तिरकर” से इस अधिनयम ~~८~~ द्वारा यथा उपबंधित प्तिरकर अभपर्ेत है;

8[(घ) “आशर्त” से मृत कमर्कार के िनम् निलिखत नातेदार ~~९~~ मं से कोई अभपर्ेत है, अर्थातः—

या िवधवा, अपर्ाप तवय ⁹[अधमर्ज या दृक] पुतर्, और अिववाहिता ⁹[अधमर्ज या दृक] पुतर्ी, माता; तथा

कमर्कार की (ii) पुतर् या पुतर्ी िजसने 18 वर्ष की आयु पर्ाप त कर ली है और जो िशितलांग है, यिद वह मृत्यु के समय उसके उपाजर्न ~~१०~~ पर पूर्तः आशर्त था या थी;

(iii) (क) िवधुर;
(ख) माता-पिता िजसके अन्तर्गत िवधवा माता नहत् आती है;
(ग) अपर्ाप तवय अधमर्ज पुतर्, अिववाहिता अधमर्ज पुतर्ी, या यिद िववाहिता है और अिवधवा है और अपर्ाप तवय है तो पुतर्ी चाहे वह ¹⁰[अधमर्ज हो या अधमर्ज या दृक];
(घ) अपर्ाप तवय भाई, या अिववाहिता बहन, या िवधवा बहन यिद वह अपर्ाप तवय है;

इस अधिनयम का गोवा, दमण और दीव पर 1962 के िविनयम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची ~~११~~ द्वारा; दादरा और नागर हवेली पर 1963 के िविनयम सं०

6 की धारा 2 और अनुसूची 1 ~~१२~~ द्वारा तथापांडिचेरी मं 1963 के िविनयम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 ~~१३~~ द्वारा तथा लक्कादीव, िमिनकोय और

अमीनदीवी ~~१४~~ प 1965 के िविनयम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची ~~१५~~ द्वारा, िवस्तार िकया गया है ।

िशक्षु अधिनयम, 1961 (1961 का 52) के अधीन िशक्षु ~~१६~~ को लागू होने के संबंध मं इस अधिनयम को उस अधिनयम की धारा 16 और अनुसूची ~~१७~~ द्वारा उपान्तिरत िकया गया है ।

² 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 2 ~~१८~~ द्वारा प्तिस्थापित ।

³ 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 3 ~~१९~~ द्वारा प्तिस्थापित ।

⁴ 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 4 ~~२०~~ द्वारा प्तिस्थापित ।

िविध अनुकूलन आदेश, 1950 ~~२१~~ द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्तिस्थापित ।

⁶ 1970 के अधिनयम सं० 51 की धारा 2 और अनुसूची ~~२२~~ द्वारा (1-9-1971 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के िसवाय” शब्द ~~२३~~ का लोप िकया गया ।

7 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 25A द्वारा (1-6-1959 से) खंड (क) का लोप किया गया।

8 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 25A द्वारा (1-6-1959 से) पूर्ववर्त खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित।

9 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 25A द्वारा (15-9-1995 से) “धमर्ज” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

10 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 25A द्वारा (15-9-1995 से) “धमर्ज या अधमर्ज” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ड) विधवा पुत्र-वधु;

(च) पूर्वमृत पुत्र की अपर्णा तवय संतान;

(छ) पूर्वमृत पुत्र की अपर्णा तवय संतान, यदि उस संतान के माता-पिता मृ० से कोई भी जीवित नहल है;

(ज) जहां [कमर्चारी] के माता-पिता मृ० से कोई भी जीवित नहल है वहां पितामह और पितामही;

यदि वह [कमर्चारी] की मृत्यु के समय उसके उपाजर्न पर पूर्णतः या भागतः आशर्त था या थी;

2 [स्पष्टीकरण—उपखंड (ii) और उपखंड (iii) की मद (च) और मद (छ) के पर्योजन के लिए, पुत्र, पुत्र की या संतान के प्रति निदश के अंतर्गत कर्मशः दृक पुत्र, पुत्र की या संतान है;]

3 [(घघ) “कमर्चारी” से ऐसा कोई कि त अभिपरत है, जो—

(i) रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (34) म० यथापिभाषित ऐसा रेल कमर्चारी है, जो किसी रेल के किसी पर्शासनिक िजला या उपखंड कार्यालय म० स्थायी रूप से िनयोजित नहल है और किसी ऐसी हैसियत म० िनयोजित नहल है, जो अनुसूची 2 म० िविनिदष ट है; अथवा

(ii) (क) किसी पोत का मास्टर, नाविक या कमटदल का अन्य सदस्य है;

(ख) किसी वायुयान का केप्टन या कमटदल का अन्य सदस्य है;

(ग) किसी मोटर यान के संबंध म० ड्राईवर, हेल्पर, मैकिनक, क्लीनर के रूप म० या किसी अन्य हैसियत म० भतट किया गया कि त है;

(घ) ऐसा कोई कि त है जो किसी कंपनी द्वारा िवदेश म० काम करने के लिए भतट किया जाता है,

और जो भारत के बाहर किसी ऐसी हैसियत म० जो अनुसूची 2 म० िविनिदष ट है िनयोजित है, और, यथास्थित, ऐसा पोत, वायुयान या मोटर यान अथवा कंपनी भारत म० रिजस्ट्रीकृत है, अथवा

(iii) किसी ऐसी हैसियत म० िनयोजित है, जो अनुसूची 2 म० िविनिदष ट है, चाहे िनयोजन की संविदा इस अधिनियम के पारित किए जाने से पहले या उसके पश्चात् की गई थी और चाहे ऐसी संविदा अभिक् त या िवविक्षत हो, मौखिक या लिखित म० हो; किंतु इसम० ऐसा कोई कि त सिम्मिलत नहल है, जो संघ के सशस्त्र बल के सदस्य की हैसियत म० कार्पर कर रहा है और किसी कमर्चारी के प्रति निदश म०, जो आहत हो गया हो, जहां कमर्चारी की मृत्यु हो गई है, उसके आशर्त या उनम० से किसी के प्रति निदश सिम्मिलत है;]

(ड) “िनयोजक” के अन्तर्गत कोई

कि त-िनकाय, चाहे वह िनगिमत हो या नहल, और िनयोजक का कोई पर्वध अभिकतार् और मृत िनयोजक का िविधक प्रतिनिध आता है, और जब कि कमर्कर की सेवाएं उस

कि त द्वारा, िजसके साथ [कमर्चारी] ने सेवा या िशक्षता की कोई संविदा की है, अन् य व

यिक् त को अस्थायी तौर पर उधार दे दी गई ह. या भाड़े पर दी गई ह. वहां “िनयोजक” से जब तक वह [कमर्चारी] उसके लिए काम करता रहता है, वह अन्य कि त अभिपरत है;

(च) “पर्वध अभिकर्ता” से कोई ऐसा कि त अभिप्रेत है जो किसी अन्य कि त का वसाय या कारबार चलाने के पर्योजन के लिए ऐसे अन्य कि त के प्रतिनिधि के रूप मं निनयुक्त है या कार्य कर रहा है, किन्तु इसके अन्तर्गत निनयोजक के अधीनस्थ ष्टक पर्वधक नहल आता;

5[चच) “अप्राप्त वय” से वह कि त अभिप्रेत है जिसने अरह वषर् की आयु प्राप्त नहल की है;]

(छ) “आंशिक निःशक् तता” से जहां वह, निःशक् तता अस्थायी पकर की है वहां ऐसी निःशक् तता अभिप्रेत है जिससे कमर्कर की उस निनयोजन मं उपाजर्न सामथर् कम हो जाती है, जिसमं वह उस दुघटना के समय जिसके पिरणामस्वरूप निःशक् तता हुई, लगा हुआ था, और जहां कि निःशक् तता स्थायी पकर की है वहां ऐसी निःशक् तता अभिप्रेत है, जिससे हर ऐसे निनयोजन मं उसकी उपाजर्न-सामथर् कम हो जाती है जिसे गर्हण करने के लिए वह उस समय समथर् था: परन्तु 6[अनुसूची 1 भाग 2 मं] विनिदष्ट हर क्षित के बारे मं यह समझा जाएगा कि उसके पिरणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक् तता होती है;

(ज) “विहत” से इस अधिनयम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहत अभिप्रेत है;

1 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2 1995 के अधिनयम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित ।

3 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

4 1959 के अधिनयम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-6-1959 से) अंतःस्थापित ।

5 इस अधिनयम का बंगाल को लागू होने के लिए कमर्कर प्रतिकर (बंगाल संशोधन) अधिनयम, 1942 (1942 का 6) की धारा 3 द्वारा नया खंड (चच)

अंतःस्थापित । 6 1962 के अधिनयम सं० 64 की धारा 2 द्वारा (1-2-1963 से) “अनुसूची 1 मं” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(झ) “अहत चिकित्सा वसायी” से अभिप्रेत है किसी 1[ऐसे केन्द्रीय अधिनयम, प्रान्तीय अधिनयम या

किसी 2[राज्य] के विधान-मंडल के अधिनयम] के अधीन, जो चिकित्सा- वसायिय का रिजस्टर रखे जाने के लिए उपबंध करता है, 3*** रिजस्ट्रीकृत कोई कि त, या किसी ऐसे क्षेत्र मं, जहां ऐसा अन्तम विणत कोई भी अधिनयम पर्वल नहल है, कोई ऐसा कि त, जिसके बारे मं राज्य सरकार ने शासकीय राजपतर् मं अधिसूचना द्वारा

घोषित किया है कि वह इस अधिनयम के पर्योजन के लिए अहत चिकित्सा वसायी है;

4*

*

*

*

(ट) “नावक” से किसी 5***6[पोत] के कमदल का कोई 6[पोत] का मास्टर नहल आता;

कि त अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत 5***

(ठ) “पूर्ण निःशक् तता” से ऐसी निःशक् तता अभिप्रेत है, चाहे वह अस्थायी पकर की हो या स्थायी पकर की, जो किसी कमर्कर को ऐसे सब काम के लिए असमथर् कर देती है, जिसे वह उस दुघटना के समय, जिसके पिरणामस्वरूप ऐसी निःशक् तता हुई थी, करने मं समथर् था:

7[परन्तु अनुसूची 1 के भाग 1 मं विनिदष्ट हर क्षित के या उसके भाग 2 मं विनिदष्ट ट क्षितय के समुच्चय के बारे मं वहां जहां उपाजर्न-सामथर् की हांन का संकिलत प्रतिशत, जैसा उक्त भाग 2 मं उन क्षितय के सामने विनिदष्ट है, सौ या उसके अधिक होता है, यह समझा जाएगा, कि उसके पिरणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक् तता हुई है;]

(ड) “मजदूरी” के अन्तर्गत, किसी यात्रा भङ्गे से या किसी यात्रा सम्बन्धी के मूल्य से, या कमर्कर के नियोजक द्वारा किसी पश्शन या भिवष्य-निध मंथिदिए गए अभिदाय से, या कमर्कर के नियोजन की पक्कित के कारण उस पर हुए किन्हेल विवशेष ्य को पूरा करने के लिए उसे दी गई किसी राशि से भिन्न ऐसा विवशेषाधिकार या फायदा आता है, जो धन के रूप मंथि पराक्किलत किया जा सकता है;

8*

*

*

*

(2) किसी स्थानीय पराधिकारी की या सरकार की ओर से] कायर् करने वाले किसी विभाग की शिक् तय और कर्त के पर्योग और पालन के बारे मंथि, जब तक कि परतिकूल आशय पर्तीत न होता हो, इस अधिनयम के पर्योजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे पराधिकारी या विभाग का वसाय या कारबार है।

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, राजपत्र मंथि अधिसूचना द्वारा, देने के पश् चात्, किसी ऐसी उपजीविका मंथि नियोजित कि तय के किसी वगर् को, जिसके बारे मंथि उसका समाधान हो गया है कि वह पिरसंकटमय उपजीविका है, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 2 मंथि जोड़ सकेगी और तदुपरि इस अधिनयम के उपबन्ध, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना की दशा मंथि, उन राज्यक्षेत्र के भीतर जिन पर इस अधिनयम का विस्तार है, या राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना की दशा मंथि,

कि तय के ऐसे वग को राज्य के भीतर, लागू हगे:

परन्तु ऐसे जोड़ते समय, यथास्थित, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस अधिनयम के उपबन्ध कि तय के ऐसे वग को केवल विनिदष्ट क्षितय के बारे मंथि ही लागू हगे।]

अध्याय 2

11[कमर्चारिय] के लिए परतिकर

3. परतिकर के लिए नियोजक का दायित्व—(1) यदि 12[कमर्चारी] को अपने नियोजन से और उनके अनुकर्म मंथि उद्भूत दुघटना द्वारा वैयक् तक क्षित कारित होती है तो उसका नियोजक इस अध्याय के उपबन्ध के अनुसार परतिकर का देनदार होगा:

परन्तु नियोजक—

(क) किसी ऐसी क्षित के बारे मंथि जिसके पिरणामस्वरूप कमर्कर को 13[तीन] दिन से अधिक की कालाविध के लिए पूर्ण या आंशिक निःशक् तता नहल रहती;

1 विविध अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “केन्द्रीय विधान-मंडल के या भारत के किसी परान्त मंथि किसी विधान-मंडल के अधिनयम” शब्द के स्थान पर परतिस्थापित।

2 विविध अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा “भाग क या भाग ख राज्य” के स्थान पर परतिस्थापित।

3 1959 के अधिनयम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-6-1959 से) चिकित्सा अधिनयम, 1858 के अधीन या इसे संशोधन करने वाला कोई अधिनयम, या” शब्द का लोप किया गया।

4 1933 के अधिनयम सं० 15 की धारा 2 द्वारा खंड (ज) का लोप किया गया।

5 1933 के अधिनयम सं० 15 की धारा 2 द्वारा “रिजस्ट्रीकृत” शब्द का लोप किया गया।

6 1933 के अधिनयम सं० 15 की धारा 2 द्वारा “किसी ऐसे पोत” शब्द के स्थान पर परतिस्थापित।

7 1962 के अधिनयम सं० 64 की धारा 2 द्वारा (1-2-1963 से) परन्तुक के स्थान पर परतिस्थापित।

8 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।

9 भारत शासन (भारतीय विविध अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर परतिस्थापित।

10 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 25A द्वारा (15-9-1995 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

11 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 35A द्वारा प्रतिस्थापित ।

12 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 45A द्वारा प्रतिस्थापित ।

13 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 35A द्वारा (1-6-1959 से) "सात" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) दुर्घटना 1[~~...~~ द्वारा हुई किसी क्षित के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु 2[या स्थायीपूर्ण

निःशक् तता] नहल हुई है], और जो पर्यक्षतः इस कारण से हुई मानी जा सकती है कि—

(i) उसके होने के समय 3[कर्मचारी] पर मिदरा या औषिधय□ का असर था, अथवा

(ii) 3[कर्मचारी] का क्षेम सुनिश् चत करने के पर्योजन के िलए अभि क त रूप से िदए गए किसी आदेश या अभि क त रूप से बनाए गए

किसी िनयम की अवज्ञा 3[कर्मचारी]~~...~~ द्वारा जान-बूझकर की गई थी, अथवा

(iii) कोई ऐसा रक्षोपाय या अन्य युक् त, जिसके बारे में वह जानता था कि वह 3[कर्मचारी] का क्षेम सुनिश् चत करने के पर्योजन के िलए उपबिन्धत की गई है, 3[कर्मचारी]~~...~~ द्वारा जानबूझकर हटाई गई थी या उसकी अवहेलना की गई थी, 4***

5*

*

*

*

इस पकर देनदार नहल होगा ।

6[(2) यदि अनुसूची 3 के भाग क में विनिदष्ट किसी िनयोजन में िनयोजित 3[कर्मचारी] को कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस िनयोजन में विशष्ट तः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिदष्ट है, या जिस िनयोजक की सेवा में 3[कर्मचारी] अनुसूची 3 के भाग ख में विनिदष्ट किसी िनयोजन में छह मास से अन्यून की िनरन्तर कालाविध के िलए (जिस कालाविध में किसी अन्य िनयोजक के अधीन उसी ढंग के िनयोजन में सेवा की कालाविध सिमिलत नहल होगी) िनयोजित रहा है उस िनयोजक की सेवा में रहने के समय यदि उसे कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस िनयोजन में विशष्ट तः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिदष्ट है, या अनुसूची 3 के भाग ग में विनिदष्ट किसी िनयोजन में 3[कर्मचारी] को एक या अधिक िनयोजन□ की सेवा में ऐसी िनरन्तर कालाविध के िलए जैसी ऐसे हर एक िनयोजन के बारे में केन्द्रीय सरकार विनिदष्ट करे, रहने के समय यदि कोई ऐसा रोग लग जाता है जो उस िनयोजन में विशष्ट तः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिदष्ट है तो उस रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर् के अन्दर दुर्घटना ~~...~~ द्वारा हुई क्षित है और जब तक कि तत्परितकूल साबित नहल कर िदया जाता तब तक दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस िनयोजन से और उसके अनुकर्म में उद्भूत हुई है:

7[परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि—

(क) किसी 3[कर्मचारी] को अनुसूची 3 के भाग ग में विनिदष्ट किसी िनयोजन में एक या अधिक िनयोजक□ की सेवा में रहने के समय कोई ऐसा रोग, जो उस िनयोजन में विशष्ट तः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में उस भाग में विनिदष्ट है, ऐसी िनरन्तर कालाविध के दौरान लग गया है जो उस िनयोजन के िलए इस उपधारा के अधीन विनिदष्ट कालाविध से कम है, तथा

(ख) वह रोग उस िनयोजन से और उसके अनुकर्म में उद्भूत हुआ है,

तो ऐसे रोग के लगने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के अर् के अन्दर दुर्घटना ~~...~~ द्वारा हुई क्षित है:

परन्तु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि कोई 3[कर्मचारी], जिसने अनुसूची 3 के भाग ख में विनिदष्ट किसी िनयोजन में किसी िनयोजक के अधीन या उस अनुसूची के भाग ग में विनिदष्ट किसी िनयोजन में एक या अधिक िनयोजक□ के अधीन, उस िनयोजन के िलए इस उपधारा के अधीन विनिदष्ट िनरन्तर कालाविध के िलए सेवा की है और उसे ऐसी सेवा की समाप् त के पश् चात् कोई ऐसा रोग लग गया है जो उस िनयोजन में विशष्ट तः होने वाले उपजीविकाजन्य रोग के रूप में, यथास्थित, उक् त भाग ख या उक् त भाग ग में विनिदष्ट है और यह कि ऐसा

(3) [केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार] किसी भी वर्णन के नियोजन को, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन मास की सूचना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देने के पश्चात् अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट नियोजन में वैसे ही अधिसूचना द्वारा,

इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया था कि वे रोग उन नियोजन मंत्रालयों में होने वाले उपजीविका रोग ह.।]

(5) यदि 4[कमचर्चारी] ने नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में किसी क्षति के लिए नुकसानी का कोई वाद संस्थित कर दिया है तो इसमें की किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह 4[कमचर्चारी] को उस क्षति के लिए प्रतिकर पाने का कोई अधिकार प्रदान करती है, और किसी क्षति के लिए 4[कमचर्चारी] द्वारा किसी विध-न्यायालय में नुकसानी के लिए कोई भी वाद न चल सकेगा,—

(क) यदि उसने उस क्षित के बारे में परितकर का कोई दावा आयुक् त के समक्ष संस्थित कर दिया है, अथवा

(ख) यदि उस क्षित के लिए परितकर के संदाय का उपबन्ध करने वाला कोई करार 4[कमचारी] और उसके नियोजन के बीच इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार हो चुका है।

6[4. परितकर की रकम—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध के अधधीन यह है कि परितकर की रकम निम्न लिखित होगी, अर्थात्:—

(क) जहाँ कि क्षित के परिणामस्वरूप मृत्यु हो मृत 4[कमचारी] की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा जाती है करके प्राप्त रकम से 7[पचास प्रतिशत] के बराबर रकम; या

8[एक लाख बीस हजार] की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो;

(ख) जहाँ कि क्षित के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक् तता हो जाती है। मृत 4[कमचारी] की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के 9[साठ प्रतिशत] के बराबर रकम; या

8[एक लाख चालीस हजार रुपए] की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो :

10[परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, खंड (क) और खंड (ख) में

उल्लिखित

परितकर की रकम में वृद्धि कर सकेगी।]

स्पष्टीकरण 1—खंड (क) और खंड (ख) के पर्योजन के लिए, किसी 4[कमचारी] के संबंध में,

“सुसंगत गुणक” से

अनुसूची 4 के पहले स्तंभ में की परिषट के सामने उस अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विनिदष्ट गुणक अभिप्रेत है, जो वर्ष की उस संख्या को विनिदष्ट करता है, जो 4[कमचारी] के, परितकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्वतः, अंतिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्ष की संख्या के बराबर है।

11*

*

*

*

*

(ग) जहाँ कि क्षित के परिणामस्वरूप स्थायी

आंशिक निःशक् तता हो जाती है

(i) ऐसी क्षित की दशा में, जो अनुसूची 1 के भाग 2 विनिदष्ट है, उस परितकर का, जो स्थायी पूर्ण निःशक् तता की दशा में संदेय होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षित द्वारा कारित उपाजर्न-सामर्थ्य

की हांन के प्रतिशत के रूप में उस भाग में विनिदष्ट है, तथा

(ii) ऐसी क्षित की दशा में, जो अनुसूची 1 में विनिदष्ट नह है,

1 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित।

2 1970 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-9-1971 से) कितपय शब्द का लोप

किया गया। 3 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा (1-6-1959 से) “उपधारा (2)” के स्थान पर

परिस्थापित। 4 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा परिस्थापित।

5 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा “पूर्वतः और” शब्द का लोप किया गया।

6 1984 के अधिनियम सं० 22 की धारा 3 द्वारा (1-7-1984 से) धारा 4 के स्थान पर परिस्थापित।

7 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 4 द्वारा (15-9-1995 से) “चालीस प्रतिशत” के स्थान पर

परिस्थिति २००९ के अधिनियम सं० ४५ की धारा ७३३ द्वारा परिस्थिति २००९।

१९९५ के अधिनियम सं० ३० की धारा ४३३ द्वारा (१५-९-१९९५ से) "पचास प्रतिशत" के स्थान पर

परिस्थिति २००९ के अधिनियम सं० ४५ की धारा ७३३ द्वारा अंतःस्थापित।

११ २००९ के अधिनियम सं० ४५ की धारा ७३३ द्वारा लोप किया गया।

उस परितकर का, जो स्थायी पूर्ण निःशक्ता की दशा
मः संदेय

होता, ऐसा प्रतिशत, जो उस क्षित ३३३ द्वारा स्थायी रूप से

कारित

उपाजर्न-सामथर की (जैसे अहत चिकित्सा ३३३ द्वारा

३३३ द्वारा

निर्धारित किया जाए) हाँ का आनुपातिक हो।

स्पष्टीकरण १—जहाँ कि एक ही दुर्घटना से हक से अधिक क्षितयाँ होती हं, वहाँ इस शीर्षक के अधीन
संदेय परितकर की रकम संकिलित कर ली जाएगी किन्तु किसी भी दशा मः ऐसी नहल होगी कि वह उस रकम
से बढ जाए, जो उन क्षितय ३३३ के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण निःशक्ता होने की दशा मः संदेय होती।

स्पष्टीकरण २—उपखंड (ii) के पर्योजन ३३३ के लिए उपाजर्न-सामथर का निर्धारण करने मः, अहत
चिकित्सा ३३३, अनुसूची १ विनिदष्ट विभन क्षितय ३३३ के संबंध मः उपाजर्न-सामथर की हाँ के
प्रतिशत का सम्यक् ध्यान रखेगा;

(घ) जहाँ कि क्षित के परिणामस्वरूप, चाहे

पूर्ण चाहे आंशिक, अस्थायी निःशक्ता हो जाती है।

१[कमचारी] की मासिक मजदूरी के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का अधर-मासिक संदाय उपधारा (२) के उपबन्ध ३३३ के अनुसार किया जाएगा।

२[(१क) उपधारा (१) मः किसी बात के होते हुए भी, आयुक्ता, भारत के बाहर हुई किसी दुर्घटना के संबंध मः
किसी १[कमचारी]

को संदेय परितकर की रकम नियत करते समय उस देश की विधि के अनुसार, जिसमः दुर्घटना हुई थी, ऐसे १[कमचारी]
को अधिनयत

की गई परितकर की रकम को, यदि कोई हो, ध्यान मः रखेगा और अपने ३३३ द्वारा नियत की गई रकम मः से उस देश की

विधि के अनुसार

१[कमचारी] को अधिनयत की गई परितकर की रकम को घटा देगा;]

३[(१ख) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र मः अधिसूचना ३३३ द्वारा, उपधारा (१) के पर्योजन ३३३ के लिए किसी कमचारी

के संबंध मः ऐसी

मासिक मजदूरी विनिदष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।]

(२) उपधारा (१) के खंड (घ) मः निदष्ट अधर-मासिक संदाय, जो उस दशा मः,—

(i) जिसमः कि ऐसी निःशक्ता अ ३३३ दिन या उससे अधिक रहती है, निःशक्ता की तारीख
से; अथवा

(ii) जिसमः कि ऐसी निःशक्ता अ ३३३ दिन से कम रहती है, निःशक्ता की तारीख से तीन
दिन की परीक्षा

कालाविध के अवसान के पश्चात् सौलहवः दिन को और तत्पश्चात् निःशक्ता के दौरान या पांच वर्ष की
कालाविध के दौरान

इनसे से जो भी कालाविध लघुतर हो, आधे-आधे मास पर संदेय होगा:

परन्तु—

(क) किसी ऐसी एकमुश्त रकम या अधर्-मासिक संदाय मश से, िजनका 1[कमर्चारी] हकदार है, किसी संदाय या भुंे

की वह रकम काट ली जाएगी, जो 1[कमर्चारी] ने, यथास्थित, ऐसी एकमुश्त रकम की या पर्थम अधर्-मासिक संदाय की

पर्राप्ति त से पूर्व, िनःशक् तता की कालाविध के दौरान पर्रितकर के रूप मश िनयोजक से पर्राप् त की है; तथा

(ख) कोई भी अधर्-मासिक संदाय किसी भी दशा मश इतनी रकम से, यदि कोई हो, अधिक नहल होगा, िजतनी से

दुर्घटना क पहले 1[कमर्चारी] की मासिक मजदूरी की आधी रकम उस मजदूरी की आधी रकम से अधिक है, िजसे वह दुर्घटना

के पश् चात् उपाजित कर रहा है ।

स्पष्टीकरण—ऐसा कोई संदाय या भुंा, जो 1[कमर्चारी] ने िचिकत्सा लेखे िनयोजक से पर्राप् त िक्या है, परन्तुक के खंड (क) के

अधर् के अन्दर पर्रितकर के रूप मश उसके ँनारा पर्राप् त संदाय या भुंा नहल समझा जाएगा ।

3[(2क) कमर्चारी को िनयोजन के दौरान कारित क्षितय के उपचार के िलए उसके ँनारा उपगत वास्तिक

चिकत्सा ्य की

पर्रितपूति की जाएगी ।]

(3) उस तारीख से पहले, िजसको कोई अधर्-मासिक संदाय शोध्य होता है, िनःशक् तता के दूर हो जाने पर, उस अधर्-मास के

िलए ऐसी रािश संदेय होगी जो उस अधर्-मास मश िनःशक् तता की अस्तित्वाविध की आनुपातिक हो ।

2[(4) यदि 1[कमर्चारी] को हुई क्षित के पिरणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो िनयोजक, उपधारा (1) के अधीन पर्रितकर

के अतिरक् त, आयुक् त के पास ऐसे 1[कमर्चारी] की अंत्येष्टि के य के िलए 1[कमर्चारी] के सबसे बड़े उरुजीवी आशर्त को, अथवा

जहां 1[कमर्चारी] का कोई आशर्त नहल है या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आशर्त के साथ नहल रह रहा था वहां उस ्रिक् त

को,

जिसने वास्तव मश ऐसा ्र य उपगत िक्या है, संदाय के िलए 4[पांच हजार रुपए से अन्यून] की रािश जमा करेगा ।]

5[परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र मश अधिसूचना ँनारा, समय-समय पर इस उपधारा मश िविनिदष्ट रकम

मश वृि कर सकेगी ।]

1 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 4अनारा पर्रितस्थापित ।

2 1995 के अधिनयम सं० 30 की धारा 4अनारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित ।

3 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 7अनारा अंतःस्थापित ।

4 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 7अनारा पर्रितस्थापित ।

5 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 7अनारा अंतःस्थापित ।

1[4क. शोध्य हो जाने पर पर्रितकर का िदया जाना और ही दे िदया जाएगा ।

ितकर्म के िलए शास्ति त—(1) धारा 4 के अधीन पर्रितकर शोध्य होते

(2) िजन दशा मश िनयोजक पर्रितकर के िलए दायित्व दावाकृत िवस्तार तक पर्रितगृहीत नहल करता उनमश िजस पकार िवस्तार तक का दायित्व वह पर्रितगृहीत करता है उस पर आधृत अनन्तम संदाय करने के िलए वह आब होगा और ऐसा संदाय, कोई अतिरक् त दावा करने के सम्बन्ध मश 2[कमर्चारी] के अधिकार पर पर्रितकूल पर्भाव डाले िबना, यथास्थित, आयुक् त के पास िनिक्षप् त कर िदया जाएगा या 3[कमर्चारी] को दे िदया जाएगा ।]

3[(3) जहां कोई िनयोजक इस अधिनयम के अधीन शोध्य पर्रितकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर देने मश, ितकर्म करता है, वहां आयुक् त—

(क) यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त, उस पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या किसी अनुसूचित ब.क की उधार देने की अधिकतम दर से अनधिक ऐसी उच्चतर दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र मंथ अधिसूचना द्वारा, ऐसी शोध रकम पर विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण ब्याज का संदाय करेगा;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि विलम्ब के लिए कोई न्यायोचित्य नहल है तो, यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शांति के रूप मंथ संदाय करेगा:

परन्तु शांति के संदाय के लिए कोई आदेश, खंड (ख) के अधीन नियोजक को यह हेतुक दिशत करने का युक्ति तयुक्त अवसर दिए बिना पारित नहल किया जाएगा कि उसे क्या न पारित किया जाए।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के पर्योजन के लिए, “अनुसूचित ब.क” से ऐसा ब.क अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय रिजर्व ब.क अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची मंथ सिमिलत ह.।

4[(3क) उपधारा (3) के अधीन संदेय ब्याज और शांति, यथास्थित, 3[कमचारी] या उसके आशर्त को संदृ की जाएगी।]

5. मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति—5***6[“मासिक मजदूरी” पद से इस अधिनियम मंथ और इसके पर्योजन के लिए एक मास की सेवा के लिए संदेय समझी जाने वाली मजदूरी की रकम (चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालाविध के हिसाब से या मातृानुपाती दर से संदेय हो) अभिप्रेत है, और जिसका हिसाब निम्न लिखित रूप मंथ किया जाएगा], अर्थात्—

(क) जहां कि 3[कमचारी] उस नियोजक की, जो प्रतिकर का देनदार है, सेवा मंथ दुर्घटना से ठीक पहले के बाहर मास से अन्यून की निरन्तर कालाविध के दौरान रहा है, वहां 3[कमचारी] की मासिक मजदूरी उस कुल मजदूरी का बारहवां भाग होगी, जो उस कालाविध के अन्तम बारह मास मंथ नियोजक द्वारा उसे संदाय के लिए शोध हो गई है;

7[(ख) जहां कि दुर्घटना से ठीक पहले की उस सेवा की सम्पूर्ण निरन्तर कालाविध, जिसके दौरान 3[कमचारी] उस नियोजक की सेवा मंथ था, जो प्रतिकर का देनदार है, एक मास से कम थी वहां, 3[कमचारी] की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक रकम 8*** होगी जिसे उसी नियोजक द्वारा उसी काम मंथ नियोजित कोई 3[कमचारी], या यदि कोई 3[कमचारी] इस प्रकार नियोजित नहल था, तो उसी प्रिक्तेर मंथ किसी वैसे ही काम मंथ नियोजित कोई 3[कमचारी] दुर्घटना से ठीक पहले के बारह मास के दौरान उपाजित कर रहा था;]

9[(ग)] 10[अन्य दशा मंथ (जिनके अन्तर्गत वे दशाएं आती ह., जिनमंथ कि आवश्यक जानकारी के अभाव मंथ खण्ड (ख) के अधीन मासिक मजदूरी का हिसाब करना सम्भव नहल है)] मासिक मजदूरी उस नियोजक से, जो प्रतिकर का देनदार है, दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अन्तम निरन्तर कालाविध के लिए उपाजित कुल मजदूरी को ऐसी कालाविध मंथ समाविष्ट दिन की संख्या से विभाजित करने पर प्राप् त भजनफल की तीस गुनी होगी।

11*

*

*

*

स्पष्टीकरण—सेवा की ऐसी कालाविध, जिसमंथ काम पर से चौदह दिन से अधिक की अनपस्थित-कालाविध के लिए विच्छेद नहल हुआ है, 12[इस 1[धारा]] के पर्योजन के लिए निरन्तर कालाविध समझी जाएगी।

1 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 5द्वारा (1-6-1959 से) अतःस्थापित।

2 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4द्वारा प्रतिस्थापित।

3 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 5द्वारा (15-9-1995 से) “उपधारा (3)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 2000 के अधिनियम सं० 46 की धारा 4द्वारा (8-12-2000 से) प्रतिस्थापित।

5 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3द्वारा मूल धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप मंथ पुनःसंख्यांकित किया गया और 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा

4द्वारा “(1)” कोष्ठक और अंक का लोप किया गया।

- 6 1939 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा "इस अधिनियम के पर्योजन के लिए कमर्कर की मासिक मजदूरी की गणना की जाएगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित । मोटे अक्षर मं शब्द 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा "धारा 4" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- 7 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।
- 8 1939 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा (30-6-1934 से) "समझी जाएगी" शब्द का लोप किया गया ।
- 9 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा मूल खण्ड (ख) को (ग) के रूप में पुनः अक्षरानुक्रमित किया गया ।
- 10 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा (1-6-1959 से) "अन्य दशा मं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- 11 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।
- 12 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा "इस धारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2*

*

*

*

6. पुनिवलोकन—(1) पक्षकार की बीच हुए किसी करार के अधीन के या आयुक्त के आदेश के अधीन के ऐसे अधर्मासिक

संदाय का पुनिवलोकन, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय है, आयुक्त द्वारा, या तो नियोजक के या [कर्मचारी] के

आवेदन पर, जिसके

साथ अहत चिकित्सा- वसायी का यह पर्माणपत्र होगा कि [कर्मचारी] की दशा मं तब्दीली हो गई है, या इस अधिनियम के अधीन

बनाए गए नियम के अधधीन रहते हुए, ऐसे पर्माणपत्र के बिना किए गए आवेदन पर किया जा सकेगा ।

(2) कोई भी अधर्मासिक संदाय इस धारा के अधीन पुनिवलोकन पर, इस अधिनियम के उपबन्ध के अधधीन रहते हुए, चालू

रखा जा सकेगा, बढ़ाया जा सकेगा, घटाया जा सकेगा या समाप्त किया जा सकेगा, या यदि यह पाया जाए कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निःशक्तिता हो गई है तो, उसे ऐसी एकमुश्त राशि मं संपरिवित्त किया जा सकेगा । जिसका [कर्मचारी]

हकदार है, किन्तु उस राशि मं से ऐसी रकम कम कर दी जाएगी जो उसे अधर्मासिक संदाय के रूप मं पहले ही प्राप्त हो चुकी है ।

7. अधर्मासिक संदाय का संराशीकरण—अधर्मासिक संदाय प्राप्त करने के किसी अधिकार का मोचन, पक्षकार के बीच के

करार द्वारा, या यदि पक्षकार मं करार नहल हो पाता और संदाय कम से कम छह मास तक किए जाते रहे ह. तो दोनों

पक्षकार मं से

किसी के द्वारा आयुक्त को किए गए आवेदन पर, ऐसी एकमुश्त रकम के संदाय द्वारा किया जा सकेगा, जो,

यथास्थित, पक्षकार द्वारा

करार पाई जाए या आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए ।

8. परितकर का वितरण—(1) किसी ऐसे [कर्मचारी] के बारे मं, जिसकी मृत्यु क्षित के परिणामस्वरूप हो गई है, परितकर का

कोई भी संदाय और किसी स्त्री को या विधक नियम्यता के अधीन कि त को परितकर के रूप मं एकमुश्त राशि का कोई भी संदाय

आयुक्त क पास निक्षेप करने से अन्यथा नहल किया जाएगा, और सीधे नियोजक द्वारा कर दिए गए किसी ऐसे संदाय

के बारे मं यह न

समझा जाएगा कि वह परितकर का संदाय है:

5[परन्तु मृत 4[कमचर्री] की दशा मथ िनयोजक िकसी भी आशर्त को 6[ऐसे 4[कमचर्री] की तीन मास की मजदूरी के बराबर रकम का अभिदाय पर्ितकर मंे कर सकेगा और उतनी रकम], िजतनी उस आशर्त को संदेय पर्ितकर से अधिक न हो, ऐसे पर्ितकर मथ से आयुक्त तःःारा काट ली जाएगी और िनयोजक को परितिसंदू कर दी जाएगी ।]

(2) दस रुपए से अन्यून कोई अन्य ऐसी राशि, जो परितकर के रूप मः संदेय है, उस िक् त के िनिमः, जो उसका हकदार है, आयुक् त के पास िनिक्षप त की जा सकेगी ।

(3) आयुक्त के पास निष्पक्षता किसी परितकर के सम्बन्ध में आयुक्त की रसीद पर्याप्त उन्मोचन होगी।

(4) आयुक् त 7[िकसी मृत 4[कमर्चारी] के बारे मऽ पर्ितकर के रूप मऽ] उपधारा (1) के अधीन िकसी धन के िनक्षेप पर. 8*** यदि

वह आवश्यक समझे तो आशर्त को ऐसी तारीख को, जिसे वह परितकर का वितरण अवधारित करने के लिए नियत करे, अपने समक्ष उपसंजात होने के लिए अपेक्षित करने वाली सूचना का पर्काशन या हर एक आशर्त पर उसकी तामील ऐसी रीति से कराएगा जैसी वह उचित समझे। यदि आयुक्त का समाधान किसी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे हो जाता है कि कोई भी आशर्त

विमान नहल है तो वह उस धन का अलतशेष उस िनयोजक को, िजसके द्वारा वह संदृ िकया गया था, पर्तिसंदृ कर देगा । आयक त

किए गए सभी संवितरण को विस्तारपूर्वक दिशत करते हुए एक विवरण नियोजक के आवेदन पर देगा।

9।(5) िकसी मृत 4[कमर्चारी] के बारे मः िनिक्षप् त पर्ितकर, उपधारा (4) के अधीन की गई िकसी कटौती के अध्धधीन रहते हए,

मृत 4[कर्मचारी] के आशर्त १ म॥ या उनम॥ से िकन्हत म॥ ऐसे अनुपात म॥, िजसे आयुक् त ठीक समझे, पर्भाजित कर िदया जाएगा या आयुक् त के स्विवैकानुसार िकसी एक आशर्त को आबंिटित िकया जा सकेगा ।

(6) जहां िक आयुक् त के पास िनिक्षप् त िकिया गया कोई पर्ितकर िकसी िक् त संदेय है वहां आयुक् त वह धन उसके हकदार िक् त को उस दशा मथ िजसमथ िक वह िक् त िजससे पर्ितकर संदेय ह स् तर्ी या िविधक िनयग्यता के अधीन िक् त नहल है, देगा और अन्य दशाे मथ दे सकेगा ।

(7) जहां िक आयुक् त के पास िनिक्षप् त कोई एकमुश्त रािश िकसी स् तर्ी या िविधक िनय ाग्यता के अधीन िक् त को संदेय है

वहां, ऐसी राशि उस स्त्री को या ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के दौरान उस व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसी रीति से, जैसी आयुक्त ~~EN~~ द्वारा

निदिष्ट की जाए, विनिहत की जा सकेगी, उपयोजित की जा सकेगी या अन्यथा बरती जा सकेगी, और जहां कि विधक नियम्यता के अधीन ्रिक् त को कोई अधर्मासिक संदाय संदेय है वहां, आयुक् त स्वपर्रेणा से या इस निमङ् अपने को िकए गए िकसी आवेदन पर, यह

। 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 4 द्वारा “उपधारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा जोड़ी गई उपधारा (2) का 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया।

³ 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा परितस्थापित।

4 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा मूल उपधारा (1) से (3) तक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 6 द्वारा परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 6 द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

8 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 6 द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द का लोप किया गया ।

9 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा मूल उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

आदेश दे सकेगा कि संदाय उस नियम्यता के दौरान [कर्मचारी] के किसी आशर्त को या किसी अन्य ऐसे कि त को, जिसे आयुक् त

[कर्मचारी] के कल्याणाथर् उपबन्ध करने के लिए सबसे अधिक उपयुक् त समझे, किया जाए ।]

2[(8)] जहां कि इस निमिष्ट अपने को किए गए किसी आवेदन पर या अन्यथा आयुक् त का समाधान हो जाता है कि प्रतिकर के

रूप मः दी गई किसी राशि के विवरण के सम्बन्ध मः, या उस रीति के सम्बन्ध मः, जिसमः ऐसे किसी आशर्त को संदेय कोई राशि

विनिहत की जानी, उपयोजित की जानी या अन्यथा बरती जानी है, आयुक् त के आदेश मः फेरफार, किसी ऐसे कि त द्वारा, जो माता

या पिता है संतान की उपेक्षा के कारण, या किसी आशर्त की परिस्थितय मः फेरफार के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से किया

जाना चाहिए वहां, आयुक् त पूर्वतः आदेश मः फेरफार के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे वह मामले की परिस्थितय मः न्यायसंगत

समझे :

परन्तु किसी कि त पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी आदेश तब तक न किया जाएगा जब तक कि उस कि त

को इस बात का हेतुक दिशत करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्य न किया जाए, और न वह किसी ऐसी दशा मः

किया जाएगा, जिसमः कि उस आदेश मः आशर्त द्वारा किसी ऐसी राशि का प्रतिसंदाय अन्तर्वर्तित होता हो जो उस आशर्त को पहले ही

संदष्ट की जा चुकी ह. ।

3[(9)] जहां कि आयुक् त किसी आदेश मः उपधारा (8) के अधीन इस तथ्य के कारण फेरफार करता है कि प्रतिकर को

प्रतिकर का

संदाय कपट, प्रतिरूपण या अन्य अनुचित साधन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है, वहां ऐसे कि त को या

उसके निमिष्ट इस प्रकार दी

गई कोई रकम आगे धारा 31 मः उपबिन्धत रीति से वसूल की जा सकेगी ।]

9. प्रतिकर का समनुदिष्ट, कुकर् या भारित न किया जाना—इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई भी एकमुश्त राशि या

अधर्मासिक संदाय, इस अधिनियम द्वारा तथा उपबिन्धत के सिवाय, किसी भी प्रकार समनुदिष्ट या भारित किए

जाने के योग्य या कुर्के

के दायित्व के अधीन नहीं होगा, और न [कर्मचारी] से भिन्न किसी कि त को विविध की किर्या द्वारा संक्रान्त होगा और न कोई दावा

उसके विरुद्ध मुजरा किया जाएगा ।

10. सूचना और दावा—(1) 4[परितकर के लिए कोई भी दावा तब तक आयुक् त 5[न]ारा गर्हण नहल िकया जाएगा

जब तक िक

दुघटना की सूचना उसके घटत होने के पश् चात् यथासाध्य शीघर् उस रीति से, जो इसमं पश् चात् उपबिन्धत की गई है, न दे दी गई हो

और जब तक िक दावा दुघटना होने के 5[दो वर्ष] के भीतर, या मृत्यु हो जाने की दशा मं, मृत्यु की तारीख से 5[दो वर्ष] के भीतर, उसके

समक्ष कर न िदया गया हो:]

परन्तु जहां िक दुघटना ऐसे रोग का लगना है, िजसके सम्बन्ध मं धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होते ह.

वहां,

दुघटना के बारे मं यह समझा जाएगा िक वह उन िदन 6 मं से पहले िदन को हुई थी, िजनके दौरान 1[कमचारी] उस रोग

5[न]ारा कारित

िनःशक् तता के पिरणामस्वरूप काम पर से िनरन्तर अनुपिस्थत रहा था:

6[परन्तु यह भी िक ऐसा कोई रोग लगने के कारण हुई ऐसी आंशिक िनःशक् तता की दशा मं, जो 1[कमचारी] को काम से

अनुपिस्थत रहने के लिए मजबूर नहल करती, दो वर्ष की कालाविध की गणना उस िदन से की जाएगी िजसको 1[कमचारी]

िनःशक् तता

की सूचना अपने िनयोजक को देता है:

परन्तु यह भी िक यदि कोई 1[कमचारी], जो िकसी िनयोजन मं, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस िनयोजन के सम्बन्ध

मं िविनिदष्ट िनरन्तर कालाविध के लिए िनयोित िकए जा चुकने पर, इस पकार िनयोित नहल रह जाता और

उस िनयोजन मं

िविशष्टतः होने वाले िकसी उपजीविकाजन्य रोग के लक्षण िनयोजन की समाप् त के दो वर्ष के भीतर उसमं

िवकिसत हो जाते ह.,

दुघटना उस िदन हुई समझी जाएगी िजस िदन उन लक्षण 7 का पता पहले पहल चला था:]

7[परन्तु यह भी िक—

(क) यदि दावा [कमचारी] की ऐसी दुघटना के पिरणामस्वरूप हुई मृत्यु के बारे मं 8[िकया] गया है जो िनयोजन के

पेरिसर मं या िकसी ऐस स्थान मं हुई थी, जहां 1[कमचारी] दुघटना के समय िनयोजक या उसके 5[न]ारा

िनयोित िकसी ्रिक् त

के िनयंतर्ण के अधीन काम कर रहा था और 1[कमचारी] ऐसे पिरसर मं, या ऐसे स्थान मं, या िनयोजक के िकसी पिरसर मं

मरा था, या उस पिरसर या स्थान का, जहां दुघटना हुई थी, सामीप्य छोड़े िबना मरा था, अथवा

1 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 45[न]ारा प्तिस्थापित ।

2 1929 के अधिनयम सं० 5 की धारा 45[न]ारा उपधारा (6) को उपधारा (8) के रूप मं पुनः संख्यांकित िकया गया ।

3 1929 के अधिनयम सं० 5 की धारा 45[न]ारा अंतःस्थापित ।

4 1938 के अधिनयम सं० 9 की धारा 55[न]ारा मूल शब्द 7 के स्थान पर प्तिस्थापित ।

5 1959 के अधिनयम सं० 8 की धारा 85[न]ारा (1-6-1959 से) “एक वर्ष” के स्थान पर प्तिस्थापित ।

6 1962 के अधिनयम सं० 64 की धारा 55[न]ारा (1-2-1963 से) अन्तःस्थापित ।

7 1933 के अधिनयम सं० 15 की धारा 75[न]ारा अंतःस्थापित ।

8 1938 के अधिनयम सं० 9 की धारा 55[न]ारा प्तिस्थापित ।

(ख) यदि नियोजक को 1[या कई नियोजक] मः से किसी एक को, 2[वसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के पर्वन्ध के लिए जिसमः क्षत 2[कर्मचारी] नियोजित था, नियोजक के प्रति उद्भूत दायी किसी 3[कि त को] दुर्घटना का ज्ञान किसी अन्य श्रोत से, उस समय या उस समय के आसपास हो गया था, जब वह दुर्घटना हुई थी,

तो सूचना का अभाव या उसमः कोई त्रुटि या अनियमितता 3[दावे के गृहण] किए जाने के लिए वर्जन न होगी:]

परन्तु यह भी कि इस बात के होते हुए भी कि इस उपधारा मः यथाउपबिन्धत सम्यक् समय के भीतर सूचना नहल दी गई है या दावा नहल 4[किया] गया है, आयुक् त किसी भी मामले मः प्रतिकर के किसी भी दावे को उस दशा मः 5[गृहण] और विनिश्चय कर सकेगा, जिसमः उसका समाधान हो जाए कि, यथास्थित, वैसे सूचना देने या दावा 6[करने] मः असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी ।

(2) ऐसी हर सूचना मः क्षत 7[कि त का नाम और पता दिया होगा और सरल भाषा मः क्षत का कारण और वह तारीख जिसको दुर्घटना हुई, किथत होगी और उसकी तामील नियोजक पर या कई नियोजक] मः से 7[किसी एक] पर, या वसाय या कारबार की किसी ऐसी शाखा के, जिसमः क्षत 2[कर्मचारी] नियोजित था, पर्वन्ध के लिए नियोजक के प्रति 8*** उद्भूत दायी किसी 9[कि त पर की जाएगी ।

9[(3) राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि विहित वर्ग के नियोजक अपने पिरसर मः, जिसमः 2[कर्मचारी] नियोजित ह, विहित प्ररूप मः एक सूचना-पुस्तक रखेंगे जिस तक पिरसर मः नियोजित किसी भी क्षत 2[कर्मचारी] की या स 10[वपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी 11[कि त की सभी युक् तयुक् त समय] पर आसानी से पहुंच हो सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन सूचना की तामील, उस कि त के, जिस पर उसकी तामील की जानी है, निवास-स्थान या किसी कार्यालय या कारबार के स्थान मः पिरदु करके या उस पते पर रिजस्ट्रीकृत डाक से भेजकर, या जहां कि सूचना-पुस्तक रखी जाती है वहां सूचना-पुस्तक मः प्रविष्ट करके, की जा सकेगी ।]

10[10क. प्रणान्तक दुर्घटना के सम्बन्ध मः विवरण की नियोजक से अपेक्षा करने की शिक् त—(1) जहां कि आयुक् त को किसी श्रोत से यह ड़िला प्रप् त होती है कि कोई 2[कर्मचारी] अपने नियोजन से और उसके अनुकर्म मः उद्भूत दुर्घटना के परिणामस्वरूप मर गया है वहां वह उस 2[कर्मचारी] के नियोजक को उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना रिजस्ट्रीकृत डाक 11[द्वारा] भेज सकेगा कि वह विहित प्ररूप मः ऐसा विवरण, जिसमः वे परिस्थितयां 12[जिनमः 2[कर्मचारी] की मृत्यु हुई बताई गई हो और यह उपदिशत किया गया हो कि नियोजक की राय मः वह उस मृत्यु के कारण प्रतिकर निक्षेप करने का दायी है या नहल, उस सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर निवेदित करे ।

(2) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निक्षेप करने का दायी है तो वह सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर ऐसा निक्षेप करेगा ।

(3) यदि नियोजक की राय हो कि वह प्रतिकर निक्षेप करने का दायी नहल है, तो वह अपने विवरण मः उन आधार को उपदिशत करेगा जिन पर वह दायित्व से इन्कार करता है ।

(4) जहां कि नियोजक ने दायित्व से इस प्रकार इन्कार किया है, वहां आयुक् त ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे मृत 2[कर्मचारी] के आशर्त मः से किसी को भी, ड़िला दे सकेगा कि आशर्त प्रतिकर का दावा करने के लिए स्वतंत्र है और उन्हः ऐसी अन्य अतिरक् त ड़िला, जैसी वह ठीक समझे, दे सकेगा ।

10ख. प्रणान्तक दुर्घटना और गम्भीर शारीरिक क्षतय की रिपोर्ट—(1) जहां कि किसी तत्समय पर्वद्विध 11[द्वारा] यह अपेक्षित है कि नियोजक के पिरसर मः घटित किसी ऐसी दुर्घटना की, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु

11[या गम्भीर शारीरिक क्षत] हो गई हो, सूचना किसी प्राधिकारी को नियोजक 12[द्वारा] या उसकी ओर से दी जाए, वहां,

वह 13[कि त, जो सूचना देने के लिए अपेक्षित है, मृत्यु 11[या गम्भीर शारीरिक क्षत] के सात दिन के भीतर आयुक् त को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमः वे परिस्थितयां बताई जाएंगी जिनमः मृत्यु 11[या गम्भीर शारीरिक क्षत] हुई है :

परन्तु जहां कि राज्य सरकार ने ऐसा विहित किया हो वहां सूचना देने के लिए अपेक्षित कि त ऐसी रिपोर्ट आयुक् त को भेजने के बजाय उस प्राधिकारी को भेज सकेगा जिसे सूचना देने के लिए वह 14[कि त अपेक्षित है ।

11] स्पष्ट टीकरण—“गंभीर शारीरिक क्षित” से ऐसी क्षित अभिप्रेत है जिसमें किसी अंग के उपयोग की स्थायी हानि या किसी अंग की स्थायी क्षित अथवा टिप्पट या शर्वण शक्ति की स्थायी हानि या उसे स्थायी क्षित अथवा किसी अंग में अस्थिभंग अथवा क्षत

1 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

2 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा “कायवर्हिहय” का किया जाना” के स्थान पर

प्रतिस्थापित । 4 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा “संस्थित किया” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा “स्वीकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा “संस्थित करने” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7 1924 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा और अनुसूची 1 द्वारा “किसी एक या” के स्थान पर

प्रतिस्थापित । 8 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा “पर्यक्षतः” शब्द का लोप किया गया ।

9 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 7 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

10 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

11 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा (1-6-1959 से) अंतःस्थापित ।

किंतु की अपने काम से बीस दिन से अधिक की कालाविध के लिए मजबूरी के कारण अनुपस्थित अन्तर्वर्तित है या अन्तर्वर्तित होना पूर्णतः अधिसंभा है ।]

(2) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबन्ध का विस्तार, उस उपधारा की परिधि में आने वाले पिरसर से विभिन्न पिरसर के किसी वर्ग पर कर सकेगी, और ऐसी अधिसूचना द्वारा उन किंतय को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो आयुक्त को रिपोर्ट भेजेंगे ।

1[(3) इस धारा में कोई भी बात उन कारखानों को लागू न होगी जिनको 2[कर्मचारी] राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है ।]

11. चिकित्सीय परीक्षा—(1) जहां कि 2[कर्मचारी] ने दुर्घटना की सूचना दी है वहां, यदि नियोजक उस समय से, जब सूचना की तामील हुई थी, तीन दिन का अवसान होने के पहले उससे यह पस्थापना करता है कि किसी अहित चिकित्सा-

वसायी द्वारा उसकी परीक्षा मुफ्त कराई जाएगी, तो, वह अपने को ऐसी परीक्षा के लिए पस्तुत करेगा और कोई भी 2[कर्मचारी], जो इस अधिनियम के अधीन अधर्मासिक संदाय पाता है, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए, तो समय-समय पर अपने को ऐसी परीक्षा के लिए पस्तुत करेगा:

परन्तु 2[कर्मचारी] इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार से अन्यथा, या उन अन्तराल से, जो विहित किए जाएं, लघुतर अन्तराल पर चिकित्सा- वसायी द्वारा परीक्षा कराने के लिए अपने को पस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि 2[कर्मचारी] नियोजक द्वारा उपधारा (1) के अधीन या आयुक्त द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर, अहित चिकित्सा- वसायी द्वारा अपनी परीक्षा कराने के लिए अपने को पस्तुत करने से इन्कार करता है या उसमें किसी प्रकार से बाधा डालता है तो ऐसे इन्कार या ऐसी बाधा के बने रहने के दौरान उसका

परितकर का अधिकार उस दशा के सिवाय निलिम्बत रहेगा जिसमः इन्कार की दशा मः वह इस प्रकार अपने को पस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुआ था ।

(3) यदि 2[कर्मचारी] उस कालाविध के अवसान से पूर्व, जिसके भीतर वह चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को पस्तुत करने के लिए अपेक्षित किए जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन दायित्वाधीन है, इस प्रकार परीक्षित हुए बिना उस स्थान के, जिसमः वह नियोजित था, सामीप्य से स्वेच्छापूर्वक चला जाता है तो उसका परितकर का अधिकार तब तक के लिए निलिम्बत रहेगा जब तक वह लौट नहल आता और ऐसी परीक्षा कराने के लिए अपने को पेश नहल कर देता ।

(4) जहां कि ऐसा 2[कर्मचारी], जिसका परितकर का अधिकार उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलिम्बत हो गया है, चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को वैसे पस्तुत किए बिना, जैसा उन उपधारा मः से किसी के द्वारा अपेक्षित है, मर जाता है वहां, यदि आयुक्त ठीक समझे तो वह मृत 2[कर्मचारी] के आशर्त को परितकर का संदाय निदष्ट कर सकेगा ।

(5) जहां कि परितकर का अधिकार उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलिम्बत है वहां निलम्बन की कालाविध के लिए कोई भी परितकर संदेय नहल होगा और यदि निलिम्बत की कालाविध धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) मः निदष्ट परीक्षा-कालाविध के अवसान के पूर्व प्रारम्भ होती है तो परीक्षा-कालाविध मः उतनी कालाविध बढ़ा दी जाएगी जिसके दौरान निलम्बन बना रहता है ।

(6) जहां कि क्षत 2[कर्मचारी] ने उस अहत चिकित्सा-

वसायी द्वारा अपनी

पिरचयार् कराने से इन्कार कर दिया है, जिसकी मुफ्त सेवाएं उसे नियोजक द्वारा पस्थापित की गई ह., या ऐसी पस्थापना परितगृहीत कर चुकने के पश्चात् ऐसे चिकित्सा-वसायी के अनुदेश की जानबूझकर अवहेलना की है वहां 3[यदि यह साबित कर दिया जाता है कि 2[कर्मचारी] की पिरचयार् किसी अहत चिकित्सा-वसायी द्वारा तत्पश्चात् नियमित रूप से नहल हुई है या उसकी ऐसी पिरचयार् तो हुई है पर वह अहत चिकित्सा-वसायी के अनुदेश का अनुसरण करने मः जानबूझकर असफल रहा है और ऐसा इन्कार, अवहेलना या असफलता उस मामले की पिरस्थितय मः अयुक्त तयुक्त थी] और उससे क्षित गुरुतर हो गई है तो क्षित और उसके पिरणामस्वरूप हुई निःशक्तता के बारे मः यह समझा जाएगा कि वे उसी प्रकार की और उसी अस्तित्वाविध की है, जिस प्रकार की और जिस अस्तित्वाविध की उनके होने की प्रत्याशा उस दशा मः युक्त तयुक्त रूप मः की जा सकती थी जिसमः कि 2[कर्मचारी] की पिरचयार् किसी अहत चिकित्सा-वसायी द्वारा नियमित रूप से की गई होती 4[और उसके अनुदेश का अनुसरण 2[कर्मचारी] ने किया होता], और यदि कोई परितकर संदेय है तो वह तदनुसार संदेय होगा ।

12. संविदा करना—(1) जहां कि कोई कि त (जिसे इसके पश्चात् इस धारा मः मालिक कहा गया है), अपने वसाय या कारबार के अनुकर्म मः या उसके पर्योजन के लिए किसी अन्य

कि त के साथ (जिसे इसके पश्चात् इस धारा मः ठेकेदार कहा गया है) किसी ऐसे पूरे काम या उसके किसी भाग को, जो मालिक के वसाय या कारबार का मामूली तौर से भाग है, ठेकेदार द्वारा या उसके

अधीन निष्पादन करने के लिए संविदा करता है वहां, उस काम के निष्पादन मः नियोजित 2[कर्मचारी] को मालिक ऐसे परितकर का देनदार होगा जिसका देनदार वह होता यदि वह 2[कर्मचारी] उसके द्वारा अविहत रूप से नियोजित

किया गया होता; और जहां कि मालिक से परितकर के लिए दावा किया जाता है वहां यह अधिनयम, इसके सिवाय कि परितकर की रकम का हिसाब 2[कर्मचारी] की उस

1 1959 के अधिनयम सं० 8 की धारा 9द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित ।

2 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 4द्वारा परितस्थापित ।

3 1938 के अधिनयम सं० 9 की धारा 6द्वारा कितपय शब्द के स्थान पर

परितस्थापित । 4 1938 के अधिनयम सं० 9 की धारा 6द्वारा अन्तःस्थापित ।

नियोजक के अधीन मजदूरी के प्रति निदोष से किया जाएगा जिसके द्वारा वह अविहत रूप से नियोजित है, इस प्रकार लागू होगा

मानो नियोजक के प्रति निदोष के लिए मालिक के प्रति निदोष प्रतिस्थापित कर दिया गए ह।

(2) जहां कि मालिक इस धारा के अधीन प्रतिकर का देनदार है वहां वह ठेकेदार से या किसी अन्य कि त से, जिससे

प्रतिकर वसूल कर सकता था, अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होगा, और जहां कि ठेकेदार, जो स्वयं मालिक है, इस

धारा के अधीन प्रतिकर का या किसी मालिक की क्षतिपूर्ति करने का दायी है वहां वह अपनी क्षतिपूर्ति अपने साथ ठेकेदार का सम्बन्ध

रखने वाले किसी ऐसे कि त से जिससे प्रतिकर वसूल कर सकता था, कराने का हकदार होगा और किसी ऐसी क्षतिपूर्ति के

अधिकार और रकम विषयक सभी प्रश्न करार के अभाव में आयुक्त द्वारा तय किए जाएंगे।

(3) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी प्रतिकर को मालिक के बजाय ठेकेदार से

प्रतिकर वसूल करने से निवारित करती है।

(4) यह धारा किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें कि दुर्घटना उस पिरसर पर, में या के आसपास न होकर अन्यत्र हुई

है, जिस पर मालिक ने, यथास्थित, काम के निष्पादन का उपकर्म किया है या प्राधिकृत करता है या जो अन्यथा उसके नियंत्रण या

परबन्ध के अधीन है।

13. पर-कि त के विरुद्ध नियोजक के उपचार—जहां कि प्रतिकर ने किसी ऐसी क्षति के लिए प्रतिकर वसूल किया है जो

ऐसी परिस्थिति में मजदूर कािरत हुई थी जिनमें उसके लिए नुकसानी के लिए संदाय करने का किसी ऐसे कि त पर विधिक दायित्व स्पष्ट

हुआ था जो उस कि त से भिन्न है जिसने प्रतिकर दिया है वहां वह कि त जिसने प्रतिकर दिया है और कोई ऐसा कि त, जिससे धारा

12 के अधीन क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा की गई है उस करने का यथापूर्व कि त रूप में दायी है।

कि त से अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार होगा जो नुकसान के लिए संदाय

14. नियोजक का दिवाला—(1) जहां कि नियोजक ने किसी प्रतिकर के प्रति इस अधिनियम के अधीन अपने किसी दायित्व के बारे में किन्हीं बीमाकर्तार से संविदा की है, वहां नियोजक के दिवाला हो जाने की, या अपने लेनदार के साथ प्रश्न करने की, या ठहराव करने की कोई स्कीम बनाने की दशा में, या यदि नियोजक कोई कम्पनी है तो कम्पनी का पिरसमापन प्रारम्भ होने की दशा में, उस दायित्व के बारे में बीमाकर्तार के विरुद्ध नियोजक के अधिकार प्रतिकर को, दिवाले या कम्पनी के पिरसमापन से सम्बन्धित किसी तत्समय पूर्व विधि में किसी बात के होते हुए भी, अतिरिक्त और उसमें निहित हो जाएंगे, और ऐसे किसी अंतरण पर बीमाकर्तार के वे ही अधिकार और उपचार होंगे, और वे उन हल दायित्व के अधीन ऐसे होंगे, मानो वे नियोजक हों, किन्तु ऐसे कि बीमाकर्तार प्रतिकर के प्रति उस दायित्व से अधिक दायित्व के अधीन न होंगे जिसके अधीन वे नियोजक के प्रति होते।

(2) यदि प्रतिकर के प्रति बीमाकर्तार का दायित्व प्रतिकर के प्रति नियोजक के दायित्व से कम है तो प्रतिकर दिवाला सम्बन्धी कार्यवाहियों में या समापन में अतिशेष को साबित कर सकेगा।

(3) जहां कि ऐसे किसी मामले में, जो उपधारा (1) में निदोष है, बीमाकर्तार के साथ नियोजक की (परिणियम के संदाय के लिए अनुबंध से भिन्न) संविदा, उसके किन्हीं निबन्धों या शर्तों का अननुपालन नियोजक द्वारा किए जाने के कारण शून्य या शून्यकरणीय है वहां, उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो वह संविदा शून्य या शून्यकरणीय न हो, और प्रतिकर को दी गई रकम को बीमाकर्तार दिवाले की कार्यवाहियों में या समापन में साबित करने के हकदार होंगे:

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध किसी ऐसी दशा मः लागू नहः हःगे जिसमः १[कर्मचारी] दुर्घटना होने और उसके पिरणामस्वरूप हुई निःशक् ता की सूचना दिवाले या समापन की कार्यवाहिय के संस्थित किए जाने की जानकारी पाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र बीमाकर्ता के देने मः असफल रहता है ।

(4) यह समझा जाएगा कि उन ऋण के अन्तर्गत, जो किसी दिवालिए की सम्पत्ति के वितरण मः या पिरसमापनाधीन किसी कम्पनी की आस्तय के वितरण मः प्रसिद्धी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 से 3) की धारा 49 के अधीन या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) की धारा 61 के अधीन या ३[कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 530] के अधीन अन्य सब ऋण पर पूर्विकता देकर दिए जाने हः, किसी ऐसे प्रतिकर मः शोध रकम आती है जिसके लिए दायित्व, यथास्थित, दिवालिए के न्यायिनर्णन के आदेश की तारीख से पहले या पिरसमापन के प्रारम्भ की तारीख से पहले प्रोद्भूत हो गया था और वे अधिनियम तदनुसार पर्यावी हःगे ।

(5) जहां कि प्रतिकर अधर्मासिक संदाय है वहां उस मः शोध रकम इस धारा के पर्योजन के लिए उतनी एकमुश्त राशि की रकम मानी जाएगी जिसकी के लिए अधर्मासिक संदाय का, यदि यह मोचनीय होता, उस दशा मः मोचन किया जा सकता जिसमः कि धारा 7 के अधीन उस पर्योजन के लिए कोई आवेदन किया गया होता और ऐसी रकम के विषय मः आयुक्त का परमाणपत्र उसका निश्चयक सबूत होगा ।

१ 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित ।

२ 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

३ 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 7 द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(6) उपधारा (4) के उपबन्ध ऐसी रकम की दशा मः लागू हःगे जिसे बीमाकर्ता उपधारा (3) के अधीन साबित करने का हकदार है, किन्तु अन्यथा वे उपबन्ध वहां लागू नहः हःगे जहां कि दिवालिए ने या पिरसमापनाधीन कम्पनी ने बीमाकर्ता के साथ उपधारा (1) मः यथानिर्दिष्ट संविदा कर ली है ।

(7) यह धारा वहां लागू नहः होगी जहां कि कम्पनी का पिरसमापन केवल पुनर्गठन या किसी दूसरी कम्पनी से सम्मेलन के पर्योजन के लिए स्वेच्छया किया जाता है ।

14क. प्रतिकर नियोजक द्वारा अन्तरित आस्तय पर प्रथम भार होगा—जहां कि नियोजक अपनी आस्तय का अन्तरण किसी ऐसे प्रतिकर मः शोध किसी रकम के संदाय से पूर्व कर देता है जिसके लिए दायित्व अन्तरण की तारीख से पूर्व प्रोद्भूत हो गया था वहां ऐसी रकम का इस प्रकार अन्तरित आस्तय के उस भाग पर, जो स्थावर सम्पत्ति से मिलकर बना है, किसी अन्य तत्समय पर्वृ विविध मः किसी बात के होते हुए भी प्रथम भार होगी ।]

15. मास्टर और नाविक से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध—यह अधिनियम उन १[कर्मचारियों] की दशा मः, जो ३*** पोत के मास्टर या नाविक हः, निम्नलिखित उपान्तर के अधधीन रहते हुए, लागू होगा, अर्थात्—

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील वहां के जिसवाय जहां कि क्षत कि त पोत का मास्टर है, पोत के मास्टर पर ऐसे की जाएगी, मानो वह नियोजक हो, किन्तु जहां कि पोत पर ही दुर्घटना हुई है और निःशक् तता प्रारम्भ हुई है वहां किसी नाविक के लिए यह आवश्यक नहः होगा कि वह दुर्घटना की कोई सूचना दे ।

(2) मास्टर या नाविक की मृत्यु हो जाने की दशा मः प्रतिकर के लिए दावा दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् ४[एक वर्ष] के भीतर, या जहां कि पोत सब जन के साथ नष्ट हो गया है या नष्ट हो गया समझा जाता है वहां उस तारीख से, जिस तारीख को पोत ऐसे नष्ट हुआ या ऐसे नष्ट हुआ समझा जाता है, अर्थात् मास के भीतर किया जाएगा:

५[परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा मः यथाउपबिन्धित सम्यक् समय के भीतर नहः किया गया है आयुक्त किसी भी मामले मः प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा मः गर्हण कर सकेगा जिसमः उसका समाधान हो जाए कि दावा वैसे करने मः असफलता पर्याप्त हेतु से हुई थी ।]

(3) जहां कि क्षत मास्टर या नाविक ६[भारत के किसी भाग मः या] ७[किसी विदेश मः] उन्मोचित कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां, उस भाग मः के किसी न्यायाधीश या मिजस्ट्रेट द्वारा या

उस विदेश मः के किसी कौन्सलीय आफसर द्वारा लिए गए और उस ७ [कि त द्वारा, जिसके

पर्वितत कराने की िकन्हत भी कायर्वािहय□ मशः सांय मशः गर्ा्

होगे—

(क) यदि अभिसंय उस न्यायाधीश, मिजस्ट्रेट या कौन्सलीय आफसर के हस्ताक्षर द्वारा

अधिपमर्णीकृत हो िजसके सामने वह िदया गया है;

(ख) यदि, यथास्थित, प्रतिवादी या अभियुक्त परीक्षा करने का अवसर मिल गया था;

किंतु त को स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की

(ग) यदि अभिसांय िकसी दांिडक कायर्वाही के दौरान िदया गया था तो यह सािबत होने पर

कि अभिसांय अभयुक त ं कि त की उपिस्थित मः िदया गया था,

और किसी भी मामले में उस

किंतु के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को

साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसारी हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है

और ऐसे ०

कि त ~~IN~~ द्वारा यह पर्माणपत्र कि परितवादी या अभियुक्त त कि त को साक्षी की

परिपरीक्षा करने का अवसर मिला था और यदि अभिसांय किसी दांडक कारवाही में दिया गया था तो यह कि वह अभियुक्त की उपस्थिति में दिया गया था, तब के सिवाय जब कि तत्परितकूल साबित कर दिया जाता है, इस बात का पर्याप्त सांय होगा कि उसे वह अवसर मिला था और अभिसांय इस प्रकार दिया गया था।

8*

*

*

*

9[(4)] उस कालाविध के िलए कोई 10[अधर्म्मिसक संदाय] संदेय नहल होगा िजसके दौरान पोत का स्वामी, क्षत मास्टर या नाविक के भरण-पोषण के ू य□ को वाणिज्यक पोत पिरवहन सम्बन्धी 11*** िकसी तत्समय पर्वल िविध के अधीन चकाने का दायी है ।

1. 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 10 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित।

² 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4(2) द्वारा परितस्थापित।

3. 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 10 द्वारा “रिजिस्टरीक” शब्द का लोप किया गया।

4 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 11 द्वारा (1-6-1959 से) “छह मास” के स्थान पर परितस्थापित।

⁵ 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 11 द्वारा (1-6-1959 से) जोड़ा गया।

6. विविध अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित ।

7 1984 के अधिनियम सं० 22 की धारा 4 द्वारा (1-7-1984 से) कितपय शब्द के स्थान पर परितस्थापित ।

8 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 7 द्वारा खण्ड (4) का लोप किया गया।

9 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 7 द्वारा खण्ड (5) को खण्ड (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

10 1924 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "मासिक संदाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची II द्वारा “भाग क राज्य” और “भाग ग राज्य” शब्द का लोप किया गया।

1[(5) कोई भी परितकर किसी ऐसी क्षित के लिए इस अधिनयम के अधीन संदेय न होगा, जिसके लिए उपदान, भुंते या पशुशन के संदाय के लिए उपबन्ध पशुशन्स (नेवी, आमट, एयर फोर्स ऐण्ड मकअन्टाइल मैरीन), ऐक्ट, 1939 (2 और 3, जाजर् 6, अ० 83) के अधीन बनाई गई वार पशुशन्स ऐण्ड इडटेन्शन अलाउन्सेज़ (मकअन्टाइल मैरीन, एट्सेटर्) स्कीम, 1939 या वार पेन्शन्स ऐण्ड इडटशुशन अलाउन्सेज़ (इण्डियन सीमेन, एट्सेटर्) स्कीम, 1941 के अधीन या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई यु पशुशन और निरोध भुंते (भारतीय नाविक) स्कीम, 1942 के अधीन किया गया है।

(6) इस अधिनयम द्वारा अपेक्षित समय के भीतर सूचना देने या दावा करने या कायवाही प्रारम्भ करने मः असफलता किसी वैयक् तक क्षित की बाबत इस अधिनयम के अधीन कायवाही के चलने के लिए वर्जन न होगी, यदि—

(क) उस क्षित की बाबत संदाय करने के लिए कोई आवेदन पूर्वतः खंड मः निदिष्ट स्कीम मः से किसी के अधीन कर दिया गया है, तथा

(ख) राज्य सरकार परमाणित कर दे कि उक् त आवेदन इस युक् तयुक् त विव् वास मः किया गया था, कि क्षित ऐसी थी जिसके लिए वह स्कीम, जिसके अधीन आवेदन किया गया था, संदाय के लिए उपबन्ध करती है, और यह कि इस आधार पर कि वह क्षित ऐसी क्षित नहल थी वह आवेदन नामंजूर कर दिया गया था या उस आवेदन के अनुसरण मः किए जाने वाले संदाय बन्द कर दिया गए थे, तथा

(ग) उस तारीख से जिस तारीख को राज्य सरकार का उक् त परमाणपत्र कायवाही प्रारम्भ करने वाले कि त को दिया गया था, एक मास के भीतर इस अधिनयम के अधीन कायवाही प्रारम्भ कर दी जाती 1]

2[15क. वायुयान के कैप्टन और कमटदल के अन्य सदस्य से संबंधित विशेष उपबन्ध—यह अधिनयम उन 3[कमर्चियर] की दशा मः, जो वायुयान के कैप्टन या कमटदल के अन्य सदस्य ह., निम् निलिखत उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होगा, अर्थात्:—

(1) दुघटना की और परितकर के दावे की सूचना की तामील, यहां के सिवाय जहां क्षत कि त वायुयान का कैप्टन है, वायुयान के कैप्टन पर ऐसे की जाएगी, मानो वह नियोजक हो, किन्तु जहां वायुयान पर ही दुघटना हुई है और निःशक् तता प्रारम्भ हुई है वहां कमटदल के किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक नहल होगा कि वह दुघटना की कोई सूचना दे।

(2) कैप्टन या कमटदल के अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा मः, परितकर के लिए दावा, दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश् चात् एक वर्ष के भीतर, या जहां वायुयान समोजन के साथ नष्ट हो गया है या नष्ट हुआ समझा जाता है। वहां उस तारीख से, जिस तारीख को वायुयान ऐसे नष्ट हुआ था या ऐसे नष्ट हुआ समझा जाता है, अठारह मास के भीतर किया जाएगा:

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा मः उपबंधित सम्यक् समय के भीतर नहल किया गया है, आयुक् त किसी भी मामले मः परितकर के किसी दावे को उस दशा मः गर्हण कर सकेगा जिसमः उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा इस प्रकार करने मः असफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी।

(3) जहां वायुयान का क्षत कैप्टन या कमटदल का अन्य सदस्य भारत के किसी भाग मः अथवा किसी अन्य देश मः निमुर्क् त कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां उस भाग मः के किसी न्यायाधीश या मिजस्ट्रेट द्वारा अथवा उस विदेश मः के किसी कौन्सलीय आफसर द्वारा लिए गए और उस कि त

द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते ह., केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को परिषित कोई भी

अभिसाय, दावा परिवर्तित कराने की किन्हल भी कायवाहिय मः साय मः उस दशा मः गर्त् हगे जिसमः,—

(क) अभिसाय उस न्यायाधीश, मिजस्ट्रेट या कौन्सलीय आफसर के हस्ताक्षर द्वारा

अधिपरमाणीकृत किया जाता है जिसके समक्ष वह दिया गया है;

(ख) यथास्थित, प्रतिवादी या अभियुक्त त प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिल गया था;
किंतु त को स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा साक्षी की

(ग) यदि अभिसंय किसी दांडिक कायवाही के दौरान दिया गया था तो, यह साबित हो जाने

पर कि अभिसंय अभियुक्त त किंतु त की उपस्थित मं दिया गया था,

और किसी भी मामले मं उस किंतु त के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक
नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसंय हस्ताक्षरित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे किंतु

द्वारा यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त त किंतु त को

साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला था, और यदि अभिसंय किसी दांडिक कायवाही मं दिया गया था तो यह
कि वह अभियुक्त त किंतु त की उपस्थित मं दिया गया था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया
जाता है, इस बात का पर्याप्त सांय होगा कि उसे वह अवसर मिला था और ऐसा अभिसंय इस प्रकार दिया गया था।

1 1942 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (3 सितम्बर, 1939 से) पूर्वतः खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित। जिसे 1939 के अधिनियम सं० 42 की
धारा 2 द्वारा उसी तारीख से अन्तःस्थापित किया गया था।

2 1995 अधिनियम सं० 30 की धारा 8 द्वारा (15-9-1995 से) अन्तःस्थापित।

3 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

15ख. कंपनिय और मोटरयान के विदेश मं के [कर्मचारी] से संबंधित विशेष उपबंध—यह
अधिनियम,—

(i) उन [कर्मचारी] की दशा मं, जो ऐसे और उस रूप मं, विदेश मं कार्य कर रहे ह., और
किंतु त ह. जिन्हें भारत मं रजिस्ट्रीकृत कंपनिय द्वारा भर्त किया गया है

(ii) उन किंतु त की दशा मं जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन रजिस्ट्रीकृत
मोटरयान के साथ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर या अन्य [कर्मचारी] के रूप मं कार्य के लिए
विदेश भेजे गए ह.; निम्नलिखित उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होगा, अर्थात् :—

(1) दुर्घटना की और प्रतिकर के दावे की सूचना की तामील, दुर्घटना के देश मं, यथास्थित,
कम्पनी के स्थानीय अभिकर्ता या मोटरयान के स्वामी के स्थानीय अभिकर्ता पर की जा सकेगी।

(2) उस [कर्मचारी] की मृत्यु हो जाने की दशा मं, जिसकी बाबत इस धारा के उपबंध लागू हगे,
प्रतिकर के लिए दावा, दावेदार को मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर किया
जाएगा:

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उपधारा मं उपबंधित सम्यक् समय के भीतर
नहीं किया गया है, आयुक्त किसी भी मामले मं प्रतिकर के किसी दावे को उस दशा मं गृहण
कर सकेगा जिसमं उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा इस प्रकार करने मं असफलता पर्याप्त त
हेतुक से हुई थी।

(3) जहां क्षत [कर्मचारी] भारत के किसी भाग मं अथवा किसी अन्य देश मं निमूर्क त कर
दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां उस भाग मं के किसी न्यायाधीश या मिजस्ट्रेट

द्वारा अथवा उस विदेश मं के किसी कौन्सलीय आफसर द्वारा लिए गए और उस किंतु

द्वारा, जिसके द्वारा वे लिए जाते ह. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को पारेषित कोई

भी अभिसांय दावा पर्वितत कराने की िकन्हल भी कायर्वाहिय मः सांय मः उस दशा मः गर्ा हगे िजसमः—

(क) अभिसांय उस न्यायाधीश, मिजस्ट्रेट या कौन्सलीय आफसर के हस्ताक्षर

द्वारा अधपर्माणीकृत िकया जाता है िजसके समक्ष वह िदया गया है;

(ख) यदि, यथास्थित, पर्तिवादी या अभियुक् त साक्षी की पर्तिपरीक्षा करने का अवसर िमल गया था;

िक त को स्वयं अथवा अपने अभिकतार् द्वारा

(ग) यदि अभिसांय िकसी दांडिक कायर्वाही के दौरान िदया गया था तो, यह साबित

हो जाने पर िक अभिसांय अभियुक् त िक त की उपस्थित मः िदया गया था,

और िकसी भी मामले मः उस िक त के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहल होगा िजसके द्वारा ऐसा कोई अभिसांय हस्ताक्षरित िकया गया पर्ति होता है और ऐसे िक त द्वारा यह पर्माणपत्र िक पर्तिवादी या अभियुक् त िक त को साक्षी की पर्तिपरीक्षा करने का अवसर िमला था और यदि अभिसांय िकसी दांडिक कायर्वाही मः िदया गया था तो यह िक वह अभियुक् त िक त की उपस्थित मः िदया गया था, तब के िसवाय जब िक तत्पर्तिकूल साबित कर िदया जाता है, इस बात का पर्याप्त सांय होगा िक उसे वह अवसर िमला था और ऐसा अभिसांय इस पर्कार िदया गया था ।]

16. पर्तिकर के बारे मः िववरणयां—[राज्य सरकार] शासकीय राजपत्र मः अधसूचना द्वारा, िनदेश दे सकेगी िक [कमर्चािय] को िनयोजित करने वाला हर िक त या ऐसे िक तय का कोई िविनिदष्ट वगर् ऐसे समय और ऐसे पर्रूप मः और ऐसे पर्ाधिकारी को, जैसे अधसूचना मः िविनिदष्ट िकए जाएं, एक शु िववरणी भजेगा िजसमः उन क्षितय की संख्या, िजनके िलए िनयोजक द्वारा पूर्वर्तन वषर् के दौरान पर्तिकर दे िदया गया है, और ऐसे पर्तिकर की रकम और पर्तिकर के बारे मः ऐसी अन्य िविशिष्टयां िविनिदष्ट हगी, जैसी [राज्य सरकार] िनिदष्ट करे ।

17. संविदा द्वारा त्याग—इस अधिनयम के पर्ारम्भ के चाहे पूर्वर, चाहे पश्चात् की गई संविदा या करार, िजसके द्वारा कोई [कमर्चारी] िनयोजन से या उसके अनुकर्म मः उद्भूत वैयक् तक क्षित के िलए िनयोजक से पर्तिकर पाने के िकसी अधिकार का त्याग कर देता है वहां तक बातिल और शून्य होगा जहां तक वह इस अधिनयम के अधीन पर्तिकर देने के िकसी िक त के दायित्व को हटाने या कम करने के िलए तात्पियत है ।

4[17क. िनयोजक का कमर्चारी को उसके अधिकार की जानकारी देने का कतर—पर्त्येक िनयोजक, िकसी कमर्चारी के िनयोजन के समय तत्काल, कमर्चारी को इस अधिनयम के अधीन पर्तिकर संबंधी उसके अधिकार की िलिखत मः और इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से अंगर्ेजी या िहन्दी मः या िनयोजन के क्षेत्र की राजभाषा मः, जो कमर्चारी समझता हो, जानकारी देगा ।]

18. [आयु का सबूत]—कमर्करपर्तिकर (संशोधन) अधिनयम, 1959 (1959 का 8) की धारा 12द्वारा (1-6-1959 से) िनरिसत ।

1 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 विविध अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा “सपिरषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर

प्रतिस्थापित । 4 2017 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

1[18क. शास्त्रियां—(1) जो कोई—

(क) वह सूचना-पुस्तक रखने मंथ असफल रहेगा जिससे रखने के लिए वह धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ख) आयुक्त को वह विवरण भेजने मंथ असफल रहेगा जिससे भेजने के लिए वह धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(ग) वह रिपोर्ट भेजने मंथ असफल रहेगा जिससे भेजने के लिए वह धारा 10ख के अधीन अपेक्षित है, अथवा

(घ) वह विवरणी देने मंथ असफल रहेगा जिससे देने के लिए वह धारा 16[के अधीन अपेक्षित है, या;]

3[(ड) कमचारी को ऐसे प्रतिकर संबंधी उसके अधिकार की जानकारी देने असफल रहेगा जो धारा 17क के अधीन अपेक्षित है,]

वह जुमाने से, जो 2[जो पचास हजार रुपए से कम का नहल होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा] दण्डनीय होगा ।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन, आयुक्त के द्वारा या उसकी पूर्ण मंजूरी से संस्थित किए जाने के सिवाय, संस्थित नहल किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहल करेगा जब तक कि अपराध के लिए पिरवाद 4[उस तारीख से छह मास के भीतर नहल किया जाता जिस तारीख को अभिकथित अपराध का किया जाना, आयुक्त को ज्ञात हुआ था ।

अध्याय 3

आयुक्त

19. आयुक्त को निदेश—(1) यदि प्रतिकर देने के किसी कि त के दायित्व के विषय मंथ कोई पर्श न के अन्तर्गत यह पर्श न आता है कि क्षत कि त 5[कमचारी] है या नहल, या प्रतिकर की रकम या अस्तित्वाविध के विषय मंथ कोई पर्श न (जिसके अन्तर्गत निःशक् तता के प्रकार या विस्तार विषयक पर्श न आता है) इस अधिनियम के अधीन की कि नहल कायर्वाहि य मंथ उठता है तो वह पर्श न करार के अभाव मंथ 6[आयुक्त] द्वारा तय किया जाएगा ।

(2) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे पर्श न जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यह अपेक्षित है कि वह आयुक्त द्वारा तय किया जाए या विनिश् चत किया जाए या उसके बारे मंथ कारवाई आयुक्त द्वारा की जाए तय करने, विनिश् चत करने या उसके बारे मंथ कारवाई करने की या इस अधिनियम के अधीन उपगत किसी दायित्व को परिवर्तित कराने की अधिकारिता न होगी ।

20. आयुक्त की नियुक्ति—(1) राज्य सरकार किसी भी कि त को 7[जो राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष से अन्यून की अविध के लिए सदस्य है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून की अविध के लिए अधिवक् ता या प्लीडर है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून अविध के लिए ऐसा राजपितर्त अधिकारी है या रहा है, जो कामिक पर्वध, मानव संसाधन विकास और औोिगिक संबंध मंथ शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखता हो,] शासकीय राजपतर् मंथ अधिसूचना द्वारा, ऐसे 8*** क्षेत्र के लिए 5[कमचारी] प्रतिकर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जो अधिसूचना मंथ विनिदष्ट किया जाए ।

9[(2) जहां कि किसी 8*** क्षेत्र के लिए एक से अधिक आयुक्त नियुक्त किए गए ह. वहां राज्य सरकार उनके बीच कारबार के विवरण का विनियमन साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगी ।]

10[(3)] कोई भी आयुक् त इस अधिनियम के अधीन विनिश्चय के लिए अपने को निदोषित किसी विषय को विनिश्चय करने के पर्योजन के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्ति को, जो जांचाधीन विषय से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हैं, जांच करने में अपनी सहायता के लिए चुन सकेगा।

10[(4)] हर आयुक् त भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा।

21. कायवाहिक का स्थान और अन्तरण—11[(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई बात आयुक् त द्वारा या उसके समक्ष की जानी है वहां इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए कानून नियम के अधीन रहते हुए, उस क्षेत्र के आयुक् त द्वारा या उसके समक्ष की जाएगी जिसमें—

1 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

2 2017 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

3 2017 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

4 1962 अधिनियम सं० 64 की धारा 6 द्वारा (1-2-1963 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

6 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 12 द्वारा “आयुक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

8 1962 अधिनियम सं० 64 की धारा 7 द्वारा (1-2-1963 से) “स्थानीय” शब्द का लोप किया गया।

9 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

10 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) और (3) उस धारा की उपधारा (3) और (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित। 11 1995 अधिनियम सं० 30 की धारा 10 द्वारा (15-9-1995 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पुनःसंख्यांकित। 11 1995 अधिनियम सं० 30 की धारा 10 द्वारा (15-9-1995 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(क) वह दुर्घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई; या

(ख) [कर्मचारी] या उसकी मृत्यु की दशा में परितकर के लिए दावा करने वाला आशर्त साधारणतया निवास करता है; या

(ग) नियोजक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है:

परन्तु किसी भी मामले में ऐसे किसी आयुक् त के समक्ष या उसके द्वारा, जो उस क्षेत्र पर जिसमें दुर्घटना हुई है, अधिकारिता रखने वाले आयुक् त से भिन्न है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से उसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आयुक् त और संबंधित राज्य सरकार को सूचना दिए बिना, कायवाही नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां [कर्मचारी], किसी पोत का मास्टर या नाविक है अथवा किसी वायुयान का कैप्टन या कमंडल का कोई सदस्य है अथवा किसी मोटर यान या कंपनी का [कर्मचारी] है, भारत से बाहर दुर्घटना का शिकार होता है वहां ऐसी कोई बात उस क्षेत्र के आयुक् त द्वारा या उसके समक्ष की जा सकेगी, जिसमें, यथास्थित, पोत, वायुयान या मोटर यान का स्वामी या अभिकर्ता निवास करता है या कारबार चलाता है अथवा कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

(1क) यदि उस आयुक् त से जिसके पास धारा 8 के अधीन कोई धन जमा किया गया है, भिन्न कोई आयुक् त, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में कायवाही करता है तो पश्चात्तत आयुक् त ऐसे मामले के उचित निपटारे के लिए किसी अभिलेख के या पूर्वतः आयुक् त के पास शेष रहे धन के अंतरण की मांग कर सकेगा और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर वह आयुक् त उसका अनुपालन करेगा।]

(2) यदि आयुक्त त का 2[समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लिम्बत किन्हा कायर्विहय□ से उद्भूत किसी विषय मथ] कारवाई किसी अन्य आयुक्त द्वारा चाहे वह उसी राज्य मथ हो या नह, अधिक सुविधानुसार की जा सकती है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम□ के अधधीन रहते हुए वह यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा विषय या तो रिपोर्ट के लिए या निपटाए जाने के लिए ऐसे अन्य आयुक्त को अन्तिरत कर दिया जाए और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेज ऐसे अन्य आयुक्त को अन्तिरत कर दिए जाएं और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विषय के विनिश्चय के लिए सुसंगत सभी दस्तावेज ऐसे अन्य आयुक्त को तत्क्षण पारेषित करेगा, और जहां कि विषय निपटाए जाने के लिए अन्तिरत किया जाता है वहां वह किसी ऐसे धन को भी विहित रीति से पारेषित करेगा जो उसके पास शेष रहा है या जो उसने कायर्विहय□ मथ के किसी पक्षकार के फायदे के लिए विनिहित किया है:

3[परन्तु जहां कि कायर्विहय□ मथ का कोई पक्षकार आयुक्त के समक्ष हाजिर हुआ है वहां आयुक्त आशर्त□ के बीच किसी एकमुश्त राशि के विवरण से सम्बन्ध अन्तरण का कोई आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना, नह करेगा:]

4*

*

*

*

(3) वह आयुक्त, जिसे कोई विषय इस प्रकार अन्तिरत किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम□ के अधधीन रहते हुए उसकी जांच करेगा और यदि वह विषय रिपोर्ट के लिए अन्तिरत किया गया था तो उस पर अपनी रिपोर्ट देगा या यदि वह विषय निपटाए जाने के लिए अन्तिरत किया गया था तो कायर्विहय□ को ऐसे चालू रखेगा मानो वे मूलतः उसके ही समक्ष प्रारम्भ हुई थ।

(4) उस आयुक्त से जिसे कोई विषय उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट के लिए अन्तिरत किया गया है रिपोर्ट मिलने पर वह आयुक्त, जिसके द्वारा वह निदक्षित किया गया था, निदक्षित विषय को ऐसी रिपोर्ट के अनुरूप विनिश्चय करेगा।

5[(5) राज्य सरकार किसी भी मामले को अपने द्वारा नियुक्त किसी आयुक्त से अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य आयुक्त को अन्तिरत कर सकेगी।]

22. आवेदन का प्ररूप—6[(1) जहां कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व उद्भूत होता है वहां ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा इस अधिनियम के उपबन्ध□ के अधीन रहते हुए, आयुक्त के समक्ष किया जा सकेगा।

(1क) उपधारा (1) के उपबन्ध□ के अधीन रहते हुए, किसी विषय के आयुक्त द्वारा तय किए जाने के लिए कोई भी आवेदन] 7[जो आशर्त या आशर्त□ द्वारा प्रतिकर के लिए किए गए आवेदन से भिन्न न ह] न किया जाएगा यदि और जब तक उसके संबंध मथ पक्षकार□ के बीच ऐसा कोई पर्श न उठा हो जिसे वे करार द्वारा तय करने मथ असमर्थ रहे ह□।

1 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4द्वारा प्रतिस्थापित।

2 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 9द्वारा कितपय शब्द□ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1938 के अधिनियम सं० 9 की धारा 9द्वारा अंतःस्थापित।

4 1995 अधिनियम सं० 30 की धारा 10द्वारा (15-9-1995 से) दूसरे परन्तुक का लोप किया गया

1 5 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 14द्वारा अंतःस्थापित।

6 1995 अधिनियम सं० 30 की धारा 11द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द□ के स्थान पर

प्रतिस्थापित। 7 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 15द्वारा अंतःस्थापित।

(2) 1[आयुक् त को आवेदन] ऐसे पर्रूप मः, जैसा िविहत िक्या जाए, िक्या जा सकेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यदि कोई हो, जैसी िविहत की जाए, और उसमः िकन्हः ऐसी िविशिष् टय ॥ के अतिरक् त, जैसी िविहत की जाए, िनम् निलिखत िविशिष् टयां अन्तिवष् ट ह ॥गी, अर्थात्—

(क) उन पिरिस्थितय ॥ का संिक्षप् त कथन िजनमः आवेदन िक्या गया है और वह अनुतोष या आदेश, िजसका आवेदक दावा करता है;

(ख) िनयोजक के िवरु ॥ पर्रितकर के िलए दावे की दशा मः वह तारीख िजसकी दुघर्टना की सूचना की िनयोजक पर तामील हुई थी, और, यदि ऐसी सूचना की तामील नहः हुई या सम्यक् समय मः नहः हुई तो ऐसे लोप का कारण;

(ग) पक्षकार ॥ के नाम और पते; या

(घ) 2[आिशर्त ॥ िनयोजक पर्रितकर के िलए आवेदन की दशा के िसवाय] उन मामल ॥ का, िजनके बारे मः करार हो चुका है और उन मामल ॥ 3[का] िजनके बारे मः करार नहः हुआ है, संिक्षप् त कथन ।

(3) यदि आवेदक िनरक्षर है या िकसी अन्य कारण से अपेिक्षत जानकारी िलिखत रूप मः देने मः असमर्थ है तो, यदि आवेदक ऐसा करना चाहे तो, आवेदन आयुक् त के िनदेशाधीन तैयार िक्या जाएगा ।

4[22क. पर्रणान्तक दुघर्टना की दशा ॥ मः अतिरक् त िनक्षेप अपेिक्षत करने की आयुक् त की शिक् त—(1) जहां िक ऐसे 5[कमचरि] के बारे मः, िजसकी मृत्यु क्षित के पिरणामस्वरूप हो गई है, संदेय पर्रितकर के रूप मः कोई रािश िनयोजक िनयोजक िनक्षिप् त की गई है और आयुक् त की राय मः ऐसी रािश अपयार्प त है वहां आयुक् त अपने कारण ॥ को किथत करते हुए िलिखत सूचना िनयोजक को इस बात का हेतुक दिशत करने के िलए अपेिक्षत कर सकेगा िक वह इतने समय के भीतर, िजतना सूचना मः किथत िक्या जाए, अतिरक् त िनक्षेप क्य ॥ न करे ।

(2) यदि िनयोजक आयुक् त को समाधानपर्द रूप मः हेतुक दिशत करने मः असफल रहता है तो आयुक् त कुल संदेय रकम को अवधारित करने वाला और िनयोजक से यह अपेक्षा करने वाला अधिनर्ण दे सकेगा िक वह उतनी रािश िनक्षिप् त कर दे िजतनी कम है ।]

23. आयुक् त की शिक् तयां और पर्रिकर्या—आयुक् त को, ऐसी शपथ पर (िजसे अधरोपित करने के िलए आयुक् त एतद् िनयोजक सशक् त िक्या जाता है) सांय लेने और सािक्षय ॥ को हाजिर कराने और दस्तावेज ॥ और भौतिक पदाथ ॥ को पेश करने के िलए िववश करने के पर्योजन के िलए िसिवल पर्रिकर्या संहिता, 1908 (1908 का 5)के अधीन की िसिवल न्यायालय की सभी शिक् तयां पर्राप् त ह ॥गी 6[और आयुक् त 7[दण्ड पर्रिकर्या संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 के और अध्याय 26] के सभी पर्योजन ॥ के िलए िसिवल न्यायालय समझा जाएगा ।]

8[24. पक्षकार ॥ की हाजिरी—िकसी पक्षकार की साक्षी के रूप मः उसकी परीक्षा के पर्योजन के िलए अपेिक्षत हाजिरी से िभन् न कोई हाजिरी, आवेदन या कायर् जो िकसी ॥ िक् त िनयोजक आयुक् त के समक्ष या आयुक् त से िकिए जाने के िलए अपेिक्षत है, ऐसे ॥ िक् त की ओर से िकसी िविध ्वसायी िनयोजक या बीमा कम्पनी या

रिजस्ट्रीकृत ॥ वसाय संघ के पदधारी िनयोजक, या कारखाना अधिनयम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1)

के अधीन या खान अधिनयम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन िनयुक् त िनरीक्षक िनयोजक, या

राज्य सरकार िनयोजक इस िनिमङ्क िविनिदष् ट िकसी अन्य आफसर िनयोजक जो ऐसे ॥ िक् त िनयोजक

िलिखत रूप मः पर्राधिकृत हो, या आयुक् त की अनुज्ञा से, इस पर्रार पर्राधिकृत िकसी अन्य ॥ िक् त िनयोजक, िक्या जा सकेगा ।]9

25. सांय अभिलिखत करने का ढंग—जैसे-जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे-वैसे आयुक् त उस साक्षी के सांय के सार का संक्षिप् त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन आयुक् त द्वारा अपने हाथ से लिखा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगा:

परन्तु यदि आयुक् त ऐसा ज्ञापन बनाने से निवारित हो जाता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमर्थता का कारण अभिलिखत करेगा और स्वयं बोल कर ऐसा ज्ञापन लिखित रूप मं तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षरित करेगा और ऐसा ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा:

परन्तु यह और कि किसी चिकित्सीय साक्षी का सांय यावत्शक्य शब्दशः लिखा जाएगा ।

1 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 15 द्वारा “जहां ऐसा कोई पर्श न उत्पन् न हो वहां आवेदन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

3 1925 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा “पर” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

5 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

6 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

7 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 12 द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

8 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 14 द्वारा (1-6-1959 से) धारा 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

9 1942 के बंगाल अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा नई धारा 24क और 24ख को इस अधिनियम को बंगाल मं लागू करने के लिए अन्तःस्थापित किया गया ।

[25क. प्रतिकर से संबंधित विषय के निपटान के लिए समय सीमा—आयुक् त, निदश की तारीख से, तीन मास की अविध के भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर से संबंधित मामले का निपटान करेगा और कमचारी को उक् त अविध के भीतर उसके संबंध मं विनिश्चय के बारे मं सूचित करेगा ।]

26. खच—आयुक् त के समक्ष की कार्यवाह्य के आनुषंगिक सभी खच इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम के अधधीन रहते हुए आयुक् त के विवेकाधीन हंगे ।

27. मामल को निवेदित करने की शक् त—यिद आयुक् त उचित समझे तो वह विध का पर्श न विनिश्चय के लिए उक् च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा और यिद वह ऐसा करता है तो वह उस पर्श न को ऐसे विनिश्चय के अनुरूप विनिश्चय करेगा ।

28. करार का रिजस्ट्रीकरण—(1) जहां कि प्रतिकर के रूप मं संदेय कोई एकमुश्त राशि की रकम, करार द्वारा, चाहे अधर्मासिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, तय हो गई है या जहां कि कोई प्रतिकर इसी प्रकार तय हो गई है कि वह किसी स्त्री को या विधक नियम्यता के अधीन किसी ्रिक् त को]*** संदेय है, वहां उसका एक ज्ञापन नियोजक द्वारा आयुक् त को भेजा जाएगा, जो उसके असली होने के विषय मं अपना समाधान हो जाने पर ज्ञापन को रिजस्टर मं विहित रूप मं अभिलिखत करेगा:

परन्तु—

(क) ऐसा कोई ज्ञापन आयुक् त द्वारा संबं पक्षकार को सूचना के संसूचित किए जाने के पश्चात् सात दिन से पहले अभिलिखत नहल किया जाएगा;

4*

*

*

*

(ग) आयुक् त किसी भी समय रिजस्टर को पिरशु कर सकेगा:

(घ) जहाँ कि आयुक्त को प्रतीत हो कि किसी एकमुश्त राशि के संदाय के बारे में कोई करार, वह चाहे अधर्माधिक संदाय से मोचन के तौर पर हो या अन्यथा हो, या किसी स्त्री को या विधवा नियमित के अधीन किसी किंत को] संदेय प्रतिकर की रकम के बारे में कोई करार, राशि या रकम की अपायता के कारण या कष्ट या असम्यक् असर या अन्य अनुचित साधन द्वारा उस करार के अभिप्राय कि जाने के कारण

रिजस्ट्रीकृत नह कि जाना चाहिए वहाँ वह करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार कर सकेगा और ऐसा आदेश जिसके अन्तर्गत करार के अधीन पहले दी गई किसी राशि के बारे में कोई आदेश आता है, कर सकेगा] जैसा वह परिस्थित में मनु न्यायसंगत समझे ।

(2) प्रतिकर के संदाय के लिए जो करार उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किया जा चुका है, वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) मनु या किसी अन्य तत्समय पर्व विधि मनु किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पर्वतनीय होगा ।

29. करार को रिजस्ट्रीकृत कराने में असफल रहने का परिणाम—जहाँ कि ऐसे किसी करार का ज्ञापन, जिसका रिजस्ट्रीकरण धारा 28 द्वारा अपेक्षित है, उस धारा की अपेक्षानुसार आयुक्त को नह भेजा गया है वहाँ, नियोजक उस प्रतिकर की कुल रकम देने का दायी होगा जिसे वह इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन देने का दायी है और, जब तक कि आयुक्त अन्यथा, निर्दिष्ट न करे, वह किसी रकम की, जो प्रतिकर के तौर पर चाहे उसे करार के अधीन या अन्यथा, कमचारी को दी गई है, आधी से अधिक रकम काट लेने के लिए, धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तु मनु किसी बात के होते हुए भी हकदार नह होगा ।

30. अपील—(1) आयुक्त के निम्नलिखित आदेश से अपील उच्च न्यायालय में होगी, अर्थात्:—

(क) प्रतिकर के रूप में एकमुश्त राशि को चाहे अधर्माधिक संदाय से मोचन के तौर पर या अन्यथा, अधिनियमत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करने वाला आदेश;

[(कक) धारा 4 के अधीन ब्याज या शांति अधिनियमत करने वाला आदेश;]

(ख) अधर्माधिक संदाय से मोचन अनुज्ञात करने से इन्कार करने वाला आदेश;

(ग) मृत कमचारी के आशर्त के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबन्ध करने वाला आदेश या किसी ऐसे किंत के दावे को जो यह अभिकथन करता हो कि वह ऐसा आशर्त है, अनुज्ञात करने वाला आदेश;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को अनुज्ञात या अनुज्ञात करने वाला आदेश; अथवा

2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।

3 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4 1924 के अधिनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “या आशर्त को” शब्द का लोप किया गया

1 4 1929 के अधिनियम सं० 5 की धारा 6 द्वारा खण्ड (ख) का लोप किया गया ।

5 1924 के अधिनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “या किसी आशर्त को” शब्द का लोप

किया गया । 6 1924 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “या ऐसा आदेश कर सकेगा” के

स्थान पर प्रतिस्थापित । 7 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

8 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 15 द्वारा (1-6-1959 से) अंतःस्थापित ।

(ङ) करार के ज्ञापन को रिजस्ट्रीकृत करने से इंकार करने वाला या उसे रिजस्ट्रीकृत करने वाला या यह उपबन्ध करने वाला कि उसका रिजस्ट्रीकरण शत के अधीन होगा, आदेश:

परन्तु जब तक कि अपील में सारवान विधि-पर्ष न अन्तर्वर्तित न हो, और खण्ड (ख) में यथानिर्दिष्ट आदेश से भिन्न न आदेश की दशा में जब तक कि अपील में विवादगस्त रकम [दस हजार रुपए या ऐसी उच्चतर रकम जो

केन्द्रीय सरकार राजपत्र मं अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे] से अन्यून न हो, आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहल होगी:

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मामले मं, जिसमं पक्षकार ने आयुक्त के विनिश्चय का पालन करने के लिए कोई करार कर लिया है या जिसमं आयुक्त का आदेश पक्षकार मं हुए करार को पर्ववशाली करता है, कोई भी अपील नहल होगी:

परन्तु यह और कि जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा दिया गया इस भाव का पर्माणपत्र न हो कि अपीलार्थ ने उसके पास वह रकम निक्षेप कर दी है जो उस आदेश के अधीन संदेय है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियोजक द्वारा खण्ड (क) के अधीन कोई भी अपील नहल होगी ।]

(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए पिरसीमाकाल साठ दिन का होगा ।

(3) [पिरसीमा अधिनयम, 1963 (1963 का 36)] की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन की अपील को लागू हंगे ।

4*

*

*

*

31. वसूली—आयुक्त किसी ऐसी रकम को, जो परितकर के संदाय के किसी करार के अधीन या अन्यथा किसी कि त द्वारा इस अधिनयम के अधीन संदेय हो, भू-राजस्व की बकाया के रूप मं वसूल कर सकेगा और आयुक्त राजस्व वसूली अधिनयम, 1890 (1890 का 1) की धारा 5 के अर् के अन्दर लोक अधिकारी समझा जाएगा ।

अध्याय 4

नियम

32. नियम बनाने की राज्य सरकार की शिक्त—(1) [राज्य सरकार] इस अधिनयम के पर्योजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्ट तः और पूर्वर्गी की ापकता पर परितकूल पर्वव डाले बिना ऐसे नियम निम् लिखत सभी विषय के लिए या उनमं से किसी के लिए उपबन्ध कर सकंगे, अर्तः—

(क) उन अन्तराल और शत को विहित करना जिन पर पुनिवलोकन के लिए आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा सकेगा, यदि उसके साथ चिकित्सीय-पर्माणपत्र न हो;

(ख) उन अन्तराल और शत को विहित करना, जिन पर कोई [कर्मचारी] चिकित्सीय परीक्षा कराने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपने को पर्तुत करने के लिए अपेक्षित किया जा सकेगा;

(ग) वह परिकर्या विहित करना जिसका अनुसरण इस अधिनयम के अधीन मामल को निपटाने मं आयुक्त द्वारा और ऐसे मामल मं पक्षकार द्वारा किया जाना है;

(घ) एक आयुक्त से दूसरे को विषय और मामल के अन्तरण को और ऐसे मामल मं धन के अन्तरण को विनियमित करना;

(ङ) वह रीति विहित करना, जिसमं आयुक्त के पास के धन को किसी मृत [कर्मचारी] के आशर्त के फायदे के लिए विनिहित किया जा सकेगा, और इस पर विनिहित धन एक आयुक्त से किसी अन्य आयुक्त को अन्तरित करना;

(च) आयुक्त के समक्ष की कार्याविहय मं ऐसे पक्षकार का प्रतिनिधित्व जो अपराप तवय है या हाजिर होने मं असमर्थ है;

(छ) वह परूप और रीति विहित करना जिसमं करार के ज्ञापन उपस्थित किए जाएंगे और रिजस्ट्रीकृत किए जाएंगे;

1 2017 के अधिनियम सं० 11 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित ।

3 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 13 द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4 2017 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया ।

5 बंगाल टाउट्स ऐक्ट, 1942 (1942 के बंगाल अधिनियम 5) की धारा 18 द्वारा नई धारा 31 को इस अधिनियम को बंगाल मंथ लागू करने के लिए अंतःस्थापित किया गया ।

6 विविध अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपिरषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7 कमर्कर परितकर नियम, 1924 के लिए देखिए, भारत का राजपत्र, 1924, भाग 1, पृष्ठ 586 ।

8 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

9 1942 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा नए खण्ड (चच), (चच1) और (चच2) को इस अधिनियम को बंगाल मंथ लागू करने के लिए अंतःस्थापित किया गया ।

(ज) अधर्मासिक संदाय के पुनिवलोकन के आवेदन पर विनिश्चय होने तक उन संदाय का आयुक्त द्वारा पूर्णतः या भागतः विवधारित रखा जाना, 1***

1*

*

*

*

1[(झ) इस अधिनियम के अधीन की कायर्विहय मंथ जो खचर् अनुज्ञात किए जा सकंगे उनके मापमान विनियमित करना;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के समक्ष की कायर्विहय के संबंध मंथ देय फीस की रकम विविहत और अवधारित करना;

(ट) आयुक्त द्वारा अपने समक्ष की कायर्विहय के रिजस्टर और अभिलेख का रखा जाना;

(ठ) उन नियोजक के वगर् जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन सूचना-पुस्तक रखंगे और ऐसी सूचना-पुस्तक के पररूप विविहत करना;

(ड) नियोजक द्वारा धारा 10 के अधीन निवेदित किए जाने वाले विवरण का पररूप विविहत करना; 2***

(ढ) उन मामल को विविहत करना, जिनमंथ धारा 10ख मंथ निदिष्ट रिपोर्ट आयुक्त से भिन्न पराधिकारी को भेजी जा सकेगी;

3[(ण) इस अधिनियम की संक्षिप् तयां विविहत करना और ऐसी संक्षिप् तय को अन्तिवष्ट करने वाली सूचनाएं संपर्दिशत करने की नियोजक से अपेक्षा करना;

(त) वह रीति विविहत करना जिसमंथ उपजीविकाजन्य रोग के रूप मंथ विनिदिष्ट किए गए रोग का निदान किया जा सकेगा;

(थ) वह रीति विविहत करना जिसमंथ रोग को इस अधिनियम के पर्योजन मंथ से किसी के लिए पर्माणित किया जा सकेगा;

(द) वह रीति विविहत करना जिसमंथ और वे मानक जिनके अनुसार असामथर् का निधारण किया जा सकेगा ।]

4[(3) इस धारा के अधीन बनाया गया पर्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघर्, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

33. [स्थानीय सरकार की नियम बनाने की शक् त ।]—भारत शासन (भारतीय विविध अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरिसत ।

34. नियम का पक़ाशन—(1) धारा 32 द्वारा पदक़ नियम बनाने की शक्त्त इस शक्त्त के अधीन होगी कि नियम पूर्व पक़ाशन के पश्चात् बनाए जाएं।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 23 के खण्ड (3) के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली वह तारीख, जिसके पश्चात् उन नियम के प्रारूप पर विचार किया जाएगा जो धारा 32 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हों, उस तारीख से तीन मास कम की न होगी जिसको प्रस्तावित विनियम का प्रारूप सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था।

(3) इस प्रकार बनाए गए नियम 7*** 8*** शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे पक़ाशन पर ऐसा प्रभाव रखेंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित हों।

35. प्रतिकर के रूप में दिए गए धन के अन्तरण के लिए अन्य देश के साथ किए गए ठहराव को किर्यान्वित करने के लिए नियम—10[(1)] केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के पास निक्षेप त ऐसे धन को, जो ऐसे अधिनियम के अधिनियमित

विध अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (ज) के अन्त में “और” शब्द तथा मूल खण्ड (झ) का लोप किया गया तथा धारा 33 के खण्ड (क) से (च) तक को खण्ड (झ) से (ढ) के रूप में पुनःअक्षरान्वित और अन्तःस्थापित किया गया।

2 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया।

3 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 16 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित।

4 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) अन्तःस्थापित।

5 भारत शासन (भारतीय विध अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “धारा 32 और धारा 33” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 भारत शासन (भारतीय विध अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “या धारा 33” शब्द और अंक का निरसन किया गया।

7 भारत शासन (भारतीय विध अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “यथास्थित” शब्द का निरसन किया गया।

8 भारत शासन (भारतीय विध अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “भारत का राजपत्र या” शब्द को निरसित किया गया।

9 1933 के अधिनियम सं० 15 की धारा 20 द्वारा अन्तःस्थापित।

10 1937 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा धारा 35 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

11 1937 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा “संदक” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

12 1937 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा “के फायदे के लिए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

हुआ हो या शोध हो] जो 1*** 2[किंसी विदेश में] निवास करता है या करने जा रहा है, 3[ऐसे विदेश में] अन्तरित को किर्यान्वित करने के लिए नियम अन्तरित करने के लिए, और 4[कर्मचारियों] के प्रतिकर से सम्बन्धित विध के अधीन 5*** 6*** 7*** 7[निक्षेप त] किंसी ऐसे धन की, 8[जो किंसी ऐसे] कि त को अधिनियमित हुआ हो, या शोध हो] जो 9[किंसी राज्य] में निवास करता है या करने जा रहा है, 9[किंसी राज्य] में प्रारूपित 10[वितरण] और प्रशासन के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी:]

10[परन्तु पराणान्तक दुर्घटना के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन निक्षेप त कोई भी राशि, संपूर्ण त नियोजक की सम्मति के बिना, तब तक ऐसे अन्तरित न की जाएगी जब तक राशि प्राप्त करने वाले आयुक्त ने धारा 8 की उपधारा (4) और (5) के उपबन्ध के अधीन उसके वितरण और प्रभाजन को अवधारित करने वाला आदेश पारित न कर दिया हो।

(2) जहां कि आयुक्त के पास निक्षेप त धन, इस धारा के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार इस प्रकार अन्तरित कर दिया गया है वहां, आयुक्त के पास निक्षेप त प्रतिकर के स्वयं उसके द्वारा वितरण के सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यत्र अतिवृष्ट उपबन्ध ऐसे किंसी धन के विषय में लागू रह जाएंगे।

11[36. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम का संसद के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया पर्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के पर्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र मधु हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र मधु अथवा 12[दो या अधिक आनुक्रमिक सत्र मधु पूरी हो सकेगी।] यदि उस सत्र के या पूर्व क त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोन सदन उस नियम मधु कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप मधु ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोन सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहल बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमन्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहल पड़ेगा।]

13[अनुसूची 1

[धारा 2(1) और 4 देखिए]

14[भाग 1

उन क्षितय की सूची जिनके बारे मधु समझा जाता है कि उनके
पिरणामस्वरूप स्थायी पूर्ण आंशिक निःशक् तता हुई ह.]

कर्म संख्यांक की प्रतिशत	क्षित का वर्णन	उपार्जन सामर्थ्य हानि का
1.	दोन हाथ की हानि या उच्चतर स्थान पर विच्छेदन.	100
2.	एक हाथ और एक पाद की हानि.	100
3.	टांग या ऊरु से दोहरा विच्छेदन, या एक ओर टांग या ऊरु से विच्छेदन और दूसरे पाद की हानि.	100
4.	दृक् शक्ति की इस विस्तार तक हानि कि दावेदार ऐसा कोई काम करने मधु असमर्थ हो जाता है जिसके लिए दृक् शक्ति आवश्यक है.	100
5.	चेहरे की बहुत गम्भीर विदरूपता.	100
6.	पूर्ण बिधरता.	100

विधि अनुकूलन आदेश, 1948द्वारा अंतःस्थापित “किसी भाग ख राज्य को या” शब्द और अक्षर का 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची

द्वारा लोप

किया गया।

2 1984 के अधिनियम सं० 22 की धारा 5 द्वारा (1-7-1984 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 1984 के अधिनियम सं० 22 की धारा 5 द्वारा (1-7-1984 से) “ऐसे भाग या देश मधु” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4द्वारा प्रतिस्थापित।

विधि अनुकूलन आदेश, 1950द्वारा “किसी भाग ख राज्य मधु या” अंतःस्थापित शब्द मधु से “किसी भाग ख राज्य मधु” शब्द और अक्षर का

1951 के अधिनियम सं० 3

की धारा 3 और अनुसूची 2द्वारा और “या” शब्द का 1957 के अधिनियम 36 की धारा 3 और

अनुसूची द्वारा लोप किया गया।

6 1984 के अधिनियम सं० 22 की धारा 5 द्वारा (1-7-1984 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7 1937 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2द्वारा “अधिगणत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8 1937 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2द्वारा “जो किसी ऐसे विक्त के फायदे के लिए उपयोग्य है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

9 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

10 1937 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।

11 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 8 द्वारा (1-2-1963 से) अन्तःस्थापित ।

12 1976 के अधिनियम सं० 65 की धारा 3 द्वारा (21-5-1976 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

13 1959 के अधिनियम सं० 8 की धारा 17 द्वारा (1-6-1959 से) पूर्ववर्त अनुसूची 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

14 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 9 द्वारा (1-2-1963 से) पूर्ववर्त शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कर्म संख्याक
की ं

उपाजर्न सामथ्य

हाणि का प्रतिशत

1 भाग 2

उन क्षितय की सूची िजनक बारे म समझा जाता है िक उनके
पिरणामस्वरूपस्थायी पूर्ण आंशिक िनःशक् तता हुई है]

िवच्छेदन के मामले—ऊध्व शाखा (कोई भी भुजा)

2[1]	स्कन्ध संधि से िवच्छेदन.....	9 0
2[2]	स्कन्ध से नीचे िवच्छेदन, जब िक स्थूणक अंसकूट के िसरे के 3[20.32 से०मी०] से कम हो.....	80
2[3]	अंसकूट के िसरे से 4[20.32 से०मी०] से कूर्पर के िसरे के नीचे 4[11.43 से०मी०] से कम तक िवच्छेदन.....	70
2[4]	एक हाथ की या एक हाथ के अंगूठे और चार अंगुलिय की हाणि, या कूर्पर के िसरे से 4[11.43 से०मी०] से नीचे िवच्छेदन.....	60
2[5]	अंगूठे की हाणि.....	30
2[6]	अंगूठे की और उसकी करभ-अस्थ की हाणि.....	40
2[7]	एक हाथ की चार अंगुलिय की हाणि.....	50
2[8]	एक हाथ की तीन अंगुलिय की हाणि.....	30
2[9]	एक हाथ की दो अंगुलिय की हाणि.....	20
2[10]	अंगूठे की अन्तम अंगुलि-अस्थ की हाणि.....	20
5[10क]	अस्थ की हाणि के िबना अंगूठे के िसरे का िगलोटिन िवच्छेदन.....	10

िवच्छेदन के मामले—अधःशाखा

2[11]	दोन पाद का िवच्छेदन िजसके पिरणामस्वरूप अन्तांग मातर् रह जाए.....	9 0
2[12]	पर्पदानगुलि-अस्थ संधि से दोन पाद की सब अंगुलिय की हाणि.....	80
2[13]	पर्पदागुलि-अस्थ संधि से दोन पाद की सब अंगुलिय की हाणि.....	40
2[14]	िनकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्थ संधि के िनकट दोन पाद की सब अंगुलिय की हाणि....	30
2[15]	िनकटस्थ अन्तरांगुलि-अस्थ संधि से दूर दोन पाद की सब अंगुलिय की हाणि.....	20
2[16]	िनतम्ब पर िवच्छेदन.....	90
2[17]	िनतम्ब से नीचे िवच्छेदन, जब िक स्थूणक बृहत् उरु-अस्थ के िसरे से नापे जाने पर 4[12.70 से०मी०] से अधिक लम्बा न हो.....	80

2[18]	नितम्ब से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक वृहत् उरु-अस्थ के सरे से नापे जाने पर 4[8.89 सेमी०] से अधिक लम्बा हो, किन्तु मधोरु से आगे न हो.	70
2[19]	मधोरु के नीचे से घुटने के 4[8.89 सेमी०] नीचे तक विच्छेदन.	60
2[20]	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 4[8.89 सेमी०] से अधिक हो, किन्तु 5" से अधिक न हो.	50
1	1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 9 द्वारा (1-2-1963 से) अन्तःस्थापित ।	
2	1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 9 द्वारा (1-2-1963 से) परिषद् सं० 7 से 54 तक को कर्मशः 1 से 48 तक के रूप मधु पुनःस्थापित किया गया ।	
3	1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14 द्वारा (15-9-1995 से) "8" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।	
4	1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14 द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।	
5	1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14 द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित ।	

कर्म संख्यांक
की

क्षित का वर्णन

उपाजन सामथ्य

हानि का प्रतिशत

1[21]	घुटने से नीचे विच्छेदन, जब कि स्थूणक 2[12.70 सेमी०] से अधिक हो.	2[50]
1[22]	एक पाद का विच्छेदन जिसके पिरणामस्वरूप अन्तांग-मातृ रह जाए.	2[50]
1[23]	परपदांगुलि-अस्थ संधि के निकट से एक पाद का विच्छेदन.	2[50]
1[24]	परपदांगुलि-अस्थ संधि से एक पद की सब अंगुलिया की हानि.	20
अन्य क्षितयां		
1[25]	एक नेत्र की हानि, जब कि कोई अन्य उपदर्व न हो और दूसरा नेत्र पर्याप्त हो.	40
1[26]	एक नेत्र की दृष्टि की हानि, जब कि नेत्रगोलक मधु उपदर्व या विदरूपता न हो और दूसरा नेत्र पर्याप्त हो.	30
3[26क.]	एक नेत्र की आंशिक दृष्टि की हानि.	10]

निम्नलिखित की हानि—

क—दाएं या बाएं हाथ की अंगुलियां तजनीं

1[27]	सम्पूर्ण.	14
1[28]	दो अंगुलि-अस्थयां.	11
1[29]	एक अंगुलि-अस्थ.	9
1[30]	अस्थ की हानि के बिना सरे का गिलोटिन विच्छेदन.	5

मध्यमा

1[31]	सम्पूर्ण.	12
1[32]	दो अंगुली-अस्थयां.	9
1[33]	एक अंगुलि-अस्थ.	7
1[34]	अस्थ की हानि के बिना सरे का गिलोटिन विच्छेदन.	4

अनामिका या किर्निका

1[35]	सम्पूर्ण.	7
-------	----------------	---

1[36]	दो अंगुली-अस्थियां.	6
1[37]	एक अंगुलि-अस्थि.	5
1[38]	अस्थि की हांन के िबना िसरे का िगलोिटन िवच्छेदन.	2

ख—दाएं या बाएं पाद की अंगुलियां

अंगूठा

1[39]	पर्पदांगुलि-अस्थि संधि से.	14
1[40]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हांन सहित.	3

1 1962 के अधिनियम सं० 64 की धारा 9[17]ारा (1-2-1963 से)परिवृष्ट सं० 7 से 54 तक को कर्मशः 1 से 48 तक के रूप म॥ पुनःसंख्यांकित िकिया गया ।

2 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14[17]ारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द के स्थान पर परितस्थापित ।

3 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 14[17]ारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित ।

कर्म संख्यांक क्षित का वर्णनउपाजर्न सामथ्यर् की

हांन का परितशत

कोई अन् य अंगुलि

1[41]	पर्पदांगुलि-अस्थि संधि से.	3
1[42]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हांन सहित.	1
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की दो अंगुलियां	
1[43]	पर्पदांगुलि-अस्थि संधि से.	5
1[44]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हांन सहित.	2
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की तीन अंगुलियां	
1[45]	पर्पदांगुलि-अस्थि संधि से.	6
1[46]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हांन सहित.	3
	अंगूठे को छोड़कर एक पाद की चार अंगुलियां	
1[47]	पर्पदांगुलि-अस्थि संधि से.	9
1[48]	उसका भाग, कुछ अस्थि की हांन सहित.	3]

2[टिप्पणी—इंस अनुसूची म॥ िनिदष्ट िकसी अंग या अवयव के उपयोग की पूर्ण तथा स्थायी हांन या उस अंग या अवयव की

हांन के समतुल्य समझी जाएगी ।]

अनुसूची 2

[3[धारा 2(1) (घघ)] दिखए]

उन िक् तय की सूची, जो 4[कमर्चारी] की पिरभाषा के अन्तर्गत 3[धारा 2(1) (घघ)] के उपबन्ध के अधधीन

रहते हुए आते ह.

िन्म निलिखत िक् त, 3[धारा (2) (1) (घघ)] क अथर् के अन्दर और उस धारा के उपबन्ध के अधधीन रहते हुए 4[कमर्चारी]

ह., अथार्त् कोई िक् त जो—

5[6[(i) 3[रेल म॥ िनयोिजत] िकसी िलफ्ट या वाष् प या अन्य यांितर्क शिक् त या िव्वुत 17]ारा

नोिदत यान को चलाने

7[उसकी मरम्मत करने] या उसके अनुरक्षण के संबंध म॥ या ऐसे िकसी यान पर लदाई या उस पर से उतराई के संबंध म॥

िनयोिजत है; अथवा

(ii) उस पिरसर मः िजसमः या िजसकी पर्सीमा के अन्दर कारखाना अधिनयम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2

के खंड (दु) मः यथापिरभाषित िविनमार्ण-परिकर्या चलाई जा रही है, या ऐसे िकसी भी पकर के ऐसे काम मः, जो ऐसी िकसी िविनमार्ण-परिकर्या या िनिमत वस्तु का आनुषंगिक या उससे संब है और िजसमः वाष्प, जल या अन्य यांतिक शिक् त या िव्वुत् शिक् त पर्युक् त होती है,*** िनयोजित है [चाहे ऐसे िकसी काम मः िनयोजन ऐसे पिरसर मः या पर्सीमा के अन्दर हो या न हो]; अथवा

(iii) वस्तु या िकसी वस्तु के भाग के िनमार्ण, पिरवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, पिररूपण के पर्योजन के िलए, अथवा

उपयोग, पिरवहन या िवकय के िलए उसे अन्यथा अनुकूलित करने के पर्योजन के िलए िकसी ऐसे पिरसर मः िनयोजित है

8***;10***

स्पष्टीकरण—ऐसे पिरसर या पर्सीमा के बाहर, िकन्तु ऐसे िकसी कायर् मः, जो िकसी वस्तु या िकसी वस्तु के

भाग के िनमार्ण, पिरवर्तन, मरम्मत, अलंकरण या पिररूपण से, अथवा उपयोग, पिरवहन या िवकय के िलए उसे अन्यथा

1 1962 के अधिनयम सं० 64 की धारा 9 द्वारा (1-2-1963 से) परिवर्षट सं० 7 से 54 तक को कर्मशः 1 से 48 तक के रूप मः पुनःसंख्यांकित िकिया गया ।

2 1960 के अधिनयम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

3 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 10 द्वारा द्वारा प्रतिस्थापित ।

4 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

5 1933 के अधिनयम सं० 15 की धारा 21 द्वारा खण्ड (i) से (xiii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6 1959 के अधिनयम सं० 8 की धारा 18 द्वारा (1-6-1959 से) खण्ड (i) से (ix) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7 1995 के अधिनयम सं० 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) अन्तःस्थापित ।

8 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 10 द्वारा लोप िकिया गया ।

9 1962 के अधिनयम सं० 64 की धारा 10 द्वारा (1-3-1963 से) अन्तःस्थापित ।

10 1962 के अधिनयम सं० 64 की धारा 10 द्वारा (1-2-1963 से) “या” शब्द का लोप िकिया गया ।

अनुकूलित करने से संबंधित िकसी कायर् का आनुषंगिक या उससे संबंधित है, िनयोजित ित इस खंड के पर्योजन के िलए ऐसे

पिरसर या पर्सीमा के अंदर िनयोजित समझे जाएंगे; अथवा]

(iv) िनयोजक के वसाय या कारबार के संबंध मः िवस्फोटक के िविनमार्ण या हथालने मः िनयोजित ह.; अथवा

(v) खान अधिनयम, 1952 (1952 का 35) की धारा 2 के खंड (ज) मः यथापिरभाषित िकसी खान मः िकसी खनन

संिकर्या मः अथवा िकसी खनन संिकर्या के या अभिप्राप् त खिनज के आनुषंगिक या उससे संसक् त िकसी पकर के काम मः, 1* **

या भूमि के नीचे िकसी भी पकर के काम मः िनयोजित है; अथवा

(vi) (क) पूर्णतः या भागतः वाष्प द्वारा या अन्य यांतिक शिक् त या िव्वुत् द्वारा नोदित पोत के, या ऐसे पोत के, जो

इस प्रकार नोदित पोत ~~इस~~ द्वारा अनुकिषत किया जाता है, या जिसका ऐसे अनुकिषत किया जाना आशियत है, अथवा

1* * *

(ग) उपखंड (क) *** के अन्तर्गत न आने वाले किसी ऐसे समुदगामी पोत के, जिसके लिए केवल पाल ~~इस~~ द्वारा

नौचालन के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपबिन्धत है, मास्टर या नाविक के रूप में नियोजित है; अथवा

(vii) (क) किसी ऐसे पोत पर, जिसका वह मास्टर या कमंडल का सदस्य नहीं है, लड़ाई, उससे उतराई, उसमें

ईंधन डालने, उसका सिन् नमार्ण करने, उसकी मरम्मत करने, उसे तोड़ डालने, साफ करने या उसका रंग-रोगन करने के

पर्योजन के लिए, या जो माल किसी जलयान से उतारा गया है, या किसी जलयान में लादा जाना है, उस माल को, पकड़न

अधिनियम, 1908 (1908 का 15) या महापकड़न न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अधधीन रहते हुए, किसी पकड़न

की सीमा के अन्दर हथालने या उसका परिवहन करने के पर्योजन के लिए, अथवा

(ख) पोत को जलबन्ध से होकर खलचने के पर्योजन के लिए, अथवा

(ग) बन्दरगाह भिड़बथ पर या पस्तभ में पोत के लंगर डालने या उठाने के पर्योजन के लिए, अथवा

(घ) जब जलयान सूखे डॉक में प्रवेश करे या उसे छोड़े तब सूखे डॉक के केसून को हटाने या पुनः रखने के पर्योजन के लिए, अथवा

(ङ) किसी जलयान को आपात की दशा में डॉक में लाने या वहां से ले जाने के पर्योजन के लिए, अथवा

(च) कयर की प्लास रिसयां और रोक-तार तैयार करने, जलबन्ध पर गहराई चिह्न रंगने, जब कभी आवश्यक हो

तब चपलान को हटाने या पुनः रखने, सीढ़ियां लगाने, मानक पर्यन्त रक्षाबोय या तद् रूप किसी अन्य अनुरक्षण-संकमर् को

बनाए रखने के पर्योजन के लिए, अथवा

(छ) पोत की रस्सी को घाट तक लाने के लिए डालिय पर किसी काम के पर्योजन के लिए नियोजित है;

(viii) (क) किसी ऐसे भवन के, जो भूमि के ऊपर ऊंचाई में एक मंजिल से अधिक या भूमि तल से लेकर छत के

शिखाग्र तक बारह फुट या उससे अधिक होने के लिए प्रकल्पित है या रहा है, अथवा

(ख) किसी ऐसे बांध या तटबन्ध के, जो अपने निम्नतम बिन्दु से लेकर उच्चतम बिन्दु तक ऊंचाई में बारह फुट या

उससे अधिक है, अथवा

(ग) किसी सड़क, पुल, सुरंग या नहर के, अथवा

(घ) किसी घाट, पोतघाट, समुद्र-भिड़ या अन्य समुद्री संकमर् के, जिसके अन्तर्गत पोत के लंगर डालने का स्थान

आता है, सिन् नमार्ण, अनुरक्षण, मरम्मत या तोड़ने में नियोजित है; अथवा

(ix) किसी टेलीग्राफ टेलिफोन लाइन या उसके खम्बे या किसी शिरोपिर्वित लाइन या केबल या खम्बे या दण्ड

या उनके लिए फिटिंग और फक्सचर को स्थापित करने, अनुरक्षित रखने, उनकी मरम्मत करने, या उतार लेने मंजूर नियोजित है; अथवा

(x) किसी आकाशी रज्जु-मागर्, नहर, पाइप लाइन या मलनाली के सिन् नमार्ण, उसको रिकर्याशील रखने, उसकी मरम्मत करने, या उसे तोड़ने मंजूर नियोजित है; अथवा

(xi) किसी अग्नि-शामक दल की सेवा मंजूर नियोजित है; अथवा

(xii) [रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 क खंड (31) और धारा 197 की उपधारा (1)] मंजूर यथापिर्भाषित रेल मंजूर ऐसे रिकर्त द्वारा, जो रेल पश्चासन के साथ किसी संविदा की पूति कर रहा है, सीधे या किसी उप ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है; अथवा

1 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया।

2 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) कितपय शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(xiii) निरीक्षक, डाक-रक्षक, डाक छांटने वाले या वैन पिपयन के रूप मंजूर रेल डाक-सेवा मंजूर या तार संकेतक के रूप मंजूर या डाक या रेल के सिसर-नेलर के रूप मंजूर नियोजित है, या भारतीय डाक और तार विभाग मंजूर किसी ऐसी उपजीविका मंजूर, जिसमंजूर मामूली तौर पर बाहर का काम अन्तर्वलित हो, नियोजित है; अथवा

(xiv) प्राकृतिक पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने की रिकर्या के सम्बन्ध मंजूर, नियोजित है; अथवा

(xv) ऐसी किसी उपजीविका मंजूर, जिसमंजूर विस्फोटक संकिर्याएं अन्तर्वलित ह, नियोजित है; अथवा

(xvi) ऐसे उत्खनन करने मंजूर नियोजित है, या विस्फोटक पर्युक् त किए गए ह. या जिसकी गहराई उसके उच्चे चतम बिन्दु से लेकर निम्नतर बिन्दु तक 3[बारह] फुट से अधिक ह.; अथवा

(xvii) दस रिकर्तय से अधिक को वहन करने योग्य पार नौका चलाने मंजूर नियोजित है; या

4[(xviii) किसी भू-संपदा मंजूर नियोजित, जिसका अनुरक्षण इलायची, सिसनकोना, कॉफी, रबड़ या चाय उगाने के पर्योजन के लिए किया जाता है; या]

5[(xix) विवुत ऊर्जा के उत्पादन, रूपान्तरण, पारेषण या वितरण मंजूर अथवा गैस के उत्पादन या पर्दाय मंजूर, नियोजित है; अथवा]

(xx) भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 2 के खण्ड (ध) मंजूर यथापिर्भाषित दीपस्तंभ मंजूर नियोजित है; अथवा

(xxi) लोक-पर्दर्शन के लिए आशियत चलिचतर् के निमार्ण मंजूर, या ऐसे चितर् को पर्दिशत करने मंजूर नियोजित है; अथवा

(xxii) हाथिय या जंगली जीव-जन्तु के पर्शिक्षण, पालने या उनसे काम लेने मंजूर, नियोजित है; अथवा

6[(xxiii) ताड़ के पेड़ से रस निकालने या वृक्ष को गिराने या उनसे लकड़ी बनाने मथ या अन् तद्वशीय जल द्वारा काष्ठ

के परिवहन मथ, या दावानल के नियंत्रण या बुझाने मथ नियोजित ह.; अथवा

(xxiv) हाथियार या अन्य जंगली जीव-जन्तु को पकड़ने या उनका शिकार करने की संिकर्या मथ नियोजित है;

अथवा]

7[(xxv)] गोताखोर के रूप से नियोजित है;] अथवा

(xxvi) (क) किसी ऐसे भाण्डागार या अन्य स्थान की, जिसमथ माल भंडारित किया जाता है; 2*** अथवा

(ख) किसी ऐसे बाजार की, *** परसीमा मथ, या के अन्दर माल हथालने या उसका परिवहन करने मथ नियोजित

है; अथवा

(xxvii) किसी ऐसी उपजीविका मथ, जिसमथ रेडियम या एक्स-रे साधितर् को हथालाना या उसका अभचालन या

रेडियम ऐक्टव पदार्थ का संस्पर्श अन्तर्वर्तित है, नियोजित है;] अथवा]

1 (xxviii) भारतीय वायुयान अधिनयम, 1934 (1934 का 22) की धारा 2 मथ यथापरिभाषित वायुयान के सिन् नमार्ण, बनाने, खोल डालने, चालन या अनुरक्षण मथ या उसके संबंध मथ नियोजित है; अथवा

(xxix) ट्रैक्टर या अन्य यंत्र द्वारा, जो वाष्प या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा या विद्युत

द्वारा चलते ह., 5[उत्तान-कृषि

संिकर्या, बनोयोग, मधुमक्खी पालन या खेती करने मथ नियोजित है;] अथवा

(xxx) नलकूप के निमार्ण, चालन, मरम्मत या अनुरक्षण मथ, 2*** नियोजित है; अथवा

(xxxi) किसी भवन मथ विद्युत फिटिंग के अनुरक्षण, मरम्मत या नवीकरण मथ नियोजित है; अथवा

(xxxii) सरकस मथ नियोजित है ।]

1 1959 के अधिनयम सं० 8 की धारा 18 द्वारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थापित ।

2 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 10 का लोप किया गया ।

3 1959 के अधिनयम सं० 8 की धारा 18 द्वारा (1-6-1959 से) “बीस” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

5 1995 के अधिनयम सं० 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) मद (xix) और “खेती करने मथ नियोजित है” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6 1938 के अधिनयम सं० 9 की धारा 11 द्वारा अन्तःस्थापित ।

7 1938 के अधिनयम सं० 9 की धारा 11 द्वारा मूल खण्ड (xxiii) को (xxv) के रूप मथ पुनः संख्यांकित किया गया ।

1[(xxxiii) किसी कारखाने या स्थापन मथ चौकीदार के रूप मथ नियोजित है; अथवा

(xxiv) समुद्र मथ मछली पकड़ने की किसी संिकर्या मथ नियोजित है; अथवा

(xxv) किसी ऐसे रोजगार मथ नियोजित है जिसमथ विष निकालने के पर्योजन के लिए या सांप की देखभाल करने

के पर्योजन के लिए सांप को हथालने अथवा किसी विषैले जीव-जन्तु या कीट को हथालने की अपेक्षा की जाती है; अथवा

(xxvi) घोड़ा, खच्चर और सांड जैसे जीव-जन्तु के हथालने संबंधी काम मथ नियोजित है; अथवा

(xxxvii) किसी यंतर्नीदित यान मः लदाई या उससे उतराई के पर्योजन के लिए अथवा ऐसे माल की, जिसकी ऐसे

यान मः लादाई की गई है, उठाई-धराई करने मः या उसका परिवहन करने मः नियोजित है; अथवा

(xxxviii) किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमा के भीतर मल नालिय या सेट्टिक ट.क की सफाई मः नियोजित

है; अथवा

(xxxix) सवक्षण और अन्वेषण, खोज अथवा निदय के मापन या निस्सारण परेक्षण मः नियोजित है, जिसके अंतर्गत

संवर्धन संकिर्याएं, जल विज्ञानीय परेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान किर्याकलाप भूगर्भ-जल सवक्षण और खोज ह.;

(xl) ऐसे जंगल के साफ करने मः अथवा भूमि या तालाब के ठीक करने मः नियोजित है;***

(xli) ऐसी भूमि पर खेती करने मः या पशु धन के पालन-पोषण तथा अनुरक्षण या वन संकिर्या या मछली पकड़ने

मः नियोजित है;***

(xlii) कूप, नलकूप, तालाब, झील, जल धारा तथा वैसे ही श्रोत से जल उत्थापन के लिए पर्योग मः लाए

जाने वाले पंपिंग उपस्कर के संस्थापन, अनुरक्षण या मरम्मत मः नियोजित ह.;

(xlili) किसी खुले कूप या खोदे गए कूप, बोर कूप, बोर तथा खोदे गए बूथ फिल्टर पाइंट और वैसे ही बोरिंग

संनि नमार्ण, या उन्हः गहरा करने मः नियोजित ह.;

(xliv) कृषि संकिर्या या बागान मः कीटनाशी या नाशक जीव मार के फुहारन करने और उसके धूल झाड़न मः

नियोजित ह.;

(xlv) यांतिक फसल कटाई और गहाई संकिर्या मः नियोजित ह.;

(xli) बुलडोजर, ट्रैक्टर, पावर टिलर तथा वैसे ही मशीन के चालन या मरम्मत या अनुरक्षण मः नियोजित ह.;

(xlvii) भूमि तल से 3.66 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर विज्ञापन बोर्ड पर चित् बनाने के लिए कलाकार के

रूप मः नियोजित ह.;

(xlviii) शर्मजीवी पतर्कार और अन्य समाचारपत्र कमर्चारी (सेवा की शत) और पर्कीणर् उपबन्ध अधिनयम, 1955

(1955 का 45) मः परिभाषित किसी समाचारपत्र स्थापन मः नियोजित ह. और बा कायर् मः लगे ह.;

3[(xlix) पानी के भीतर कायर् के लिए गोताखोर के रूप मः नियोजित ।]

2*

*

*

*

4[अनुसूची 3

(धारा 3 देखिए)

उपजीविकाजन्य रोग की सूची

कर्.सं.उपजीविकाजन्य रोग

नियोजन

(1)

(2)

(3)

भाग क

1. संक्रामक और परजीवी रोग, जो उस उपजीविका से (क) सभी कायर् जो स्वास्थ्य या पर्योगशाला कायर् के लिए हुआ हो जहां संदूषण की विशिष्ट जोखिम हो । उच्छन् न करते हः;

1 1995 के अधिनियम सं० 30 की धारा 15 द्वारा (15-9-1995 से) अन्तःस्थापित ।

2 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया ।

3 सा.का.नि. 381, तारीख 3-11-1997 द्वारा जोड़ा गया ।

4 1984 के अधिनियम सं० 22 की धारा 6 द्वारा (1-7-1984 से) अनुसूची 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कर्.सं.उपजीविकाजन्य रोग

नियोजन

(1)

(2)

(3)

(ख) सभी कायर् जो पशु-चिकित्सा कायर् के लिए उच्छन्न करते हैं ।

(ग) जीव-जन्तु, जीव-जन्तु शव, ऐसे शव के भाग या औपचारिक माल के; जो जीव-जन्तु या जीव-जन्तु शव द्वारा संदूषित हो गया हो, हथालने से संबंधित कायर् ;

(घ) अन्य कायर् जिसमें संदूषण की विशेषता जोखिम हो ।

2. संसृजित वायु मय कायर् द्वारा कारित रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।

3. सीसा या उसके विषैले सिमिशर्ण द्वारा कारित सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
रोग ।

4. नाइटर्स धूम द्वारा विषाक्तता । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।

5. कार्बनिक फास्फोरस सिमिशर्ण द्वारा विषाक्तता । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।

भाग ख

1. फास्फोरस या उसके विषैले सिमिशर्ण द्वारा कारित सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
रोग ।

2. पारद या उसके विषैले सिमिशर्ण द्वारा कारित रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।

3. ब.नजीन या उसके विषैले समजात द्वारा कारित रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।

4. नाइट्रो और ब.नजीन के एमडो विषैले द्रव्य या सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।

उसके समजात द्वारा कारित रोग ।

5. क्रोमियम या उसके विषैले सिमिशर्ण द्वारा कारित सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
रोग ।

6. संखिया या उसके विषैले सिम्मशर्ण $\square$ $\square$ द्वारा कारित रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
7. रेडियो एक्टव पदाथ $\square$ और आयनकारी विवरण $\square$ $\square$ द्वारा सभी कायर् जो रेडियोएक्टव पदाथ $\square$ या आयतकारी कारित रो । विवरण $\square$ के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
8. तारकोल, डामर, बिटूमेन, खिनज तेल, एन्थर्सीन या इन सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
- पदाथ $\square$ के सिम्मशर्ण $\square$; उत्पाद $\square$ या अवशेष $\square$ $\square$ द्वारा कारित त्वचा का पर्ाथिमक उपकला-बुंदयुक् त क.सर ।
9. (एलिफैटिक एनडेरोमेटिक आविलय $\square$ के) हाइड्रोकार्बन $\square$ सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
- के विषैले हैलोजेन $\square$ त्प $\square$ $\square$ द्वारा कारित रोग ।
10. कार्बन डाइसल्फाइड $\square$ द्वारा कारित रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
11. अवरक् त विवरण $\square$ से उत्पन् न उपजीविका जन्य सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
- मोतियाबिन्द ।
12. म.गनीज या उसके विषैले सिम्मशर्ण $\square$ $\square$ द्वारा कारित रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
13. शारीरिक, रासायनिक या जैविक कारक $\square$ $\square$ द्वारा, जो सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
- अन्य मद $\square$ मथ सिम्मिल नहल ह.; कारित त्वचा रोग ।
14. शोर $\square$ द्वारा कारित शर्वण हांन । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
15. पर्तिस्थापी डाइनाट्रोफीनॉल या ऐसे पदाथ $\square$ के लवण $\square$ सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
- $\square$ द्वारा विषाक् तता ।
16. बेरिलियम या उसके विषैले सिम्मशर्ण $\square$ $\square$ द्वारा कारित सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
- रोग ।
17. कैडिमियम या उसके विषैले सिम्मशर्ण $\square$ $\square$ द्वारा कारित सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ ।
- रोग ।
- कर्.सं. उपजीविकाजन्य रोगिनयोजन
- | | | |
|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) |
| 18. कायर् पर्किर्या मथ अन्तिवष् ट मान्यतापर्ाप त सुग्राही कारक $\square$ | सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन् न करते ह $\square$ । | |
| $\square$ द्वारा कारित उजीविका-जन्य दमा । | | |

19. फ्लुओरी या उसक विषैले सिमिशर्ण द्वारा कारित सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
रोग ।
20. नाइट्रोग्लिसरीन या अन्य नाइट्रोएसिड ऐस्टर द्वारा सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
कारित रोग ।
21. एलकोहॉल और कीटोन द्वारा कारित रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
22. श्वासरोध, कार्बनमोनोक्साइड और उसके विषैले सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
त्प, हाईड्रोजन सल्फाइड द्वारा कारित रोग ।
23. एस्बेस्टॉस द्वारा कारित फेफड़ा क.सर और सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
मीजिथीलियोमा ।
24. मूत्राशय या वृक्क या मूतर्विहिनी की एपिथिलल सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
लाइनिंग का पार्थिमक अबुर्द ।
25. बरफ से घिरे क्षेत्र में मिहमांधता । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
26. अत्यंत गरम जलवायु मः गमट के पर्भाव से उत्पन्न रोग । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
27. अत्यंत ठंडी जलवायु मः ठंड के पर्भाव से उत्पन्न सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
रोग ।

भाग ग

1. स्क्लेरोजेनिक खिन्जूर धूल (सिलिकोसिस) सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
एथर्सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस) द्वारा कारित फुफ्फुस-
धूलिमयता और सिकता यक्षमा परन्तु यह कि
सिकतामयता पिरणामी नियमित या मृत्यु कारित
करने मः आवश्यक घटक हो ।
2. इक्षुधूलिमयता । सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
3. रूई, फ्लैक् स हैम्प और सीसल धूल (बिसिनोसिस) द्वारा सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
कारित श्वासनी फुफ्फुस रोग ।
4. कार्बनिक धूल क अभिश्र वसन द्वारा कारित बिहरस्थ सभी कायर् जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न करते हैं ।
एलजट एल्ब्योलाइटिज

5. कठोर धातु ~~इस~~ द्वारा कारित श्वसनी-फुफुस ।

सभी कार्यर जो संबंधित जोखिम के लिए उच्छन्न

करते ह ।

2 [अनुसूची 4

(धारा 4 देखिए)

स्थायी िनःशक् तता और मृत्यु की दशा मधु परितकर को रकम के एक मूक् ता समतुल्य रकम िनकालने के लिए

गुणक

3 [कमचारी] को परितकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्वतः
उसके अन्तिम जन्म िदवस को पूर्ण हुए वर्ष की संख्या

गुणक

(1)

(2)

16 से अधिक नहए. 228.54

1 1995 के अधिनयम सं० 30 की धारा 16 ~~इस~~ द्वारा (15-9-1995 से) अंतःस्थापित ।

2 1984 के अधिनयम सं० 22 की धारा 7 ~~इस~~ द्वारा (1-7-1984 से) अनुसूची 4 के स्थान पर परितस्थापित ।

3 2009 के अधिनयम सं० 45 की धारा 4 ~~इस~~ द्वारा परितस्थापित ।

1 [कमचारी] को परितकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्वतः
गुणक उसके अन्तिम जन्म िदवस को पूर्ण हुए वर्ष की संख्या

(1)

(2)

17.	
227.49 18.	
226.38 19.	
225.22 20.	
224.00 21.	
222.71 22.	
221.37 23.	
219.95 24.	
218.47 25.	
216.91 26.	
215.28 27.	
213.57 इससे अधिक नहए 28.	
211.79 29.	
209.92 30.	
207.98 31.	
205.95 32.	
203.85 33.	
201.66 34.	
199.40 35.	
197.06 36.	
194.64 37.	
192.14 38.	
189.56 39.	
186.90 40.	
184.17 41.	
181.37 42.	
178.49 43.	
175.54 44.	
172.52 45.	
169.44 46.	
166.29 47.	
163.07 48.	

...	159.80	49.	
...	156.47	50.	
...	153.09	51.	
...	149.67	52.	
...	146.20		

1 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1 [कर्मचारी] को प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्वतः
गुणक उसके अन्तिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्ष की संख्या

(1)

(2)

53.		142.68
54.		139.13
55.		
135.5	6 56.	
...	131.95	57.
...	128.3	3 58.
...	124.70	59.
...	121.05	60.
...	117.41	61.
...	113.77	62.
...	110.14	63.
...	106.52	64.
...	102.93	65 या अधिक
...	99.37	

1 2009 के अधिनियम सं० 45 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।